

**नगर परिषद ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का  
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन  
अवधि**

**1.4.15 से 31.3.17**

**भाग-एक**

**1 प्रारम्भिक:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81 - फिन (एल०ए०) -खण्ड – iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद ऊना के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 1/4/2015 से 31/3/2017 तक नगर परिषद ऊना के प्रधान व कार्यकारी अधिकारी निम्नानुसार थे:-

**1) प्रधान**

क्रम संख्या	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्रीमती ममता कश्यप	प्रधान	1-4-15 से 17-2-16
2	श्री अमरजोत सिंह बेदी	प्रधान	18-2-16 से लगातार

**2) कार्यकारी अधिकारी**

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री संजय कुमार	01-04-15 से 11-4-16
2	श्री राज कुमार (तहसीलदार)	12-04-16 से 28-09-16
3	श्री ललित कुमार	29-09-16 से 5-12-16
4	श्री राशिक शर्मा (ए० टी० पी०)	6-12-16 से 12-02-17
5	श्री पी० सी० शर्मा	13-02-17 से लगातार

**ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-**

नगर परिषद ऊना के अवधि 1/04/15 से 31/03/17 के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	₹ (लाखों में)
1	कर्मचारी भविष्य निधि विभाग द्वारा स्वेच्छा से नगर परिषद ऊना के के० सी० सी० बी० ऊना खाता संख्या 20013034833 से दिनांक 19-08-16 को राशि आहरित करना	4 (च)	15.65
2	अनुदानों की राशि व्यय हेतु शेष	10 (ख)	280.11
3	अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	10 (ग)	851.43
4	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की प्राप्त अनुदान राशि से अनुचित व्यय	11	456.94
5	दिनांक 31-03-2017 तक अग्रिमों की राशि का समायोजन न करना	12	4.02

6	गृहकर, दुकानों के किराये व मोबाईल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली हेतु शेष	15	59.48
7	गृह कर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण हानि	16	3.07
8	खाली दुकानों को पुनः खुली बोली द्वारा किराये पर न देने के कारण नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि	17	2.78
9	पार्किंग एंड शॉपिंग कॉम्प्लैक्स (अरविन्द मार्ग) ऊना में नगर परिषद के दो हाल किराये पर न देने के कारण हुई वित्तीय हानि	18	14.16
10	नगर परिषद ऊना में कार्यरत मिस्त्री, बेलदारों, सफाई कर्मचारियों, चपरासी, चौकीदार व ड्राईवर कर्मचारियों को बकाया वेतन व वेतन बिलों के रूप में अधिक एवं गलत भुगतान	22	7.94
11	सफाई का ठेका आबंटित करने से पूर्व चतुर्थ न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से समझौता वार्ता न करने के कारण नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि	23	8.15
12	रिक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि	24, 25	38.66
13	टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग शुल्क की राशि को राजकोष में जमा न करवाना	26	111.00

**(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-**

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप गम्भीर प्रकृति के पैरों व अन्य पैरों का कई वर्षों के उपरांत भी समायोजन/निपटारा संभव नहीं हो सका। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि नगर परिषद अधिकारियों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपतियों से संबंधित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध ढंग से अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु उचित निर्देश जारी करें, ताकि गत वर्षों से अनिर्णीत पैरों का समायोजन हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट – (क) पर दिया गया है।

**भाग- दो**

**2 वर्तमान अंकेक्षण**

नगर परिषद ऊना के लेखाओं अवधि 1-04-2015 से 31-03-2017 के लेखाओं का अंकेक्षण, कार्य श्री राजकुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 19-09-2017 से 7-11-2017 के दौरान ऊना में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	3/16	11/15
2016-17	3/17	7/16

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

### 3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद के अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹62500 आँका गया। कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना से अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या - 251 दिनांक 2-11-17 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या: 33539 दिनांक 3-11-2017 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, शिमला -9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है।

### 4 वित्तीय स्थिति :-

(क) नगर परिषद ऊना के लेखाओं अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण परिशिष्ट - (ख) पर भी दिया गया है।

#### वर्ष 2015 – 16

	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वयं स्रोत	23310106.83	18226686.99	41536793.82	5269215.16	36267578.66
अनुदान	32771556.44	39384250.00	72155806.44	38186803.00	33969003.44
<b>योग</b>	<b>56081663.27</b>	<b>57610936.99</b>	<b>113692600.26</b>	<b>43456018.16</b>	<b>70236582.10</b>

#### वर्ष 2016-17

	आरम्भिक शेष	आय	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
स्वयं स्रोत	36267578.66	24193494.10	60461072.76	4509201.22	55951871.54
अनुदान	33969003.44	40998654	74967657.44	46956179	28011478.44
<b>योग</b>	<b>70236582.10</b>	<b>65192148.10</b>	<b>135428730.20</b>	<b>51465380.22</b>	<b>83963349.98</b>

#### ( ख) बैंक समाधान विवरण :-

दिनांक 31.03.2017 को रोकड़बही के अनुसार अन्तिम शेष						83963349.98
जमा (+)		चैक निर्गमित किए गए लेकिन दिनांक 31.03.2017 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए				410512
क्रम सं०	चैक संख्या	चैक जारी करने की तिथि	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि	
1	020102	1-03-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	3412	
2	020103	1-03-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	3412	
3	064812	10-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	9299	
4	064823	20-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	6484	

5	064828	21-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	5048	
6	064828	23-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	950	
7	064830	23-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	18500	
8	064834	23-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	2275	
9	064838	29-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	16600	
10	064840	30-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	4191	
11	064841	30-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	42	
12	064842	30-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	7	
13	064843	30-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	683	
14	064844	31-3-17	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	117007	
15	727359	7-03-17	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	55064742779	10890	
16	727369	21-3-17	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	55064742779	61341	
17	727372	29-3-17	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	55064742779	55010	
18	727378	30-3-17	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	55064742779	76900	
19	727379	30-3-17	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	55064742779	777	
20	720724	30-3-17	के० सी० सी० बी० ऊना	20013034833	9311	
21	720725	30-3-17	के० सी० सी० बी० ऊना	20013034833	94	
22	740148	30-3-17	के० सी० सी० बी० ऊना	20013012231	1485	
23	740146	30-3-17	के० सी० सी० बी० ऊना	20013012231	6771	
24	740147	30-3-17	के० सी० सी० बी० ऊना	20013012231	8	
25	740150	30-3-17	के० सी० सी० बी० ऊना	20013012231	15	
				<b>योग</b>	<b>410512</b>	
<b>घटाव (-)</b>	दिनांक 31-01-2006 को चोरी हुए चैक संख्या 727215 जिसकी FIR संख्या 502 दिनांक 14-11-2006 को दर्ज की गई है					<b>75220</b>

घटाव (-)	दिनांक 19-08-2016 को के० सी० बी० ऊना के खाता संख्या 20013034833 से कर्मचारी भविष्य निधि विभाग द्वारा नगर परिषद की अनुमति बगैर आहरित की गई राशि जिसे दिनांक 31-03-2017 तक रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया					1564647
घटाव (-)	चैक जो बैंक में जमा करवाए लेकिन जिनका 31-3-17 तक बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया					108775
क्रम सं०	चैक संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा करवाने की तिथि	राशि	
1	000032	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	31-03-17	100000	
2	975491	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1420103692	31-03-17	8775	
				योग	108775	
घटाव (-)	दिनांक 8-12-2016 को बैंक में जमा करवाई गई ₹25494 जिसका बैंक द्वारा ₹24494 का क्रेडिट दिया गया, लेकिन दिनांक 29-04-17 को उक्त गलती को संशोधित कर दिया गया					1000
दिनांक 31.03.2017 को बैंक में बचत खातों व सावधिक निवेश के अन्तर्गत जमा शेष राशि						82624219.98

(ग) दिनांक 31-03-2017 को अन्तिम शेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1	1420103692	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	34448794.61
2	1420108975	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	4713101
3	1420055397	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	1163
4	335300010019776-9	पंजाब नैशनल बैंक ऊना	4820439
5	703104000003346	आई० डी० बी० आई० ऊना	252252
6	55064742779	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला	24002617.47
7	913	हिमाचल ग्रामीण बैंक ऊना	67466.65
8	92	हिमाचल ग्रामीण बैंक ऊना	870562
9	159	हिमाचल ग्रामीण बैंक ऊना	61370
10	20013032439	काँगड़ा सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक ऊना	284745
11	20013034833	काँगड़ा सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक ऊना	778988
12	20013012231	काँगड़ा सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक ऊना	5840416
13	911010041611777	एक्सिस बैंक ऊना	85586
14	89032210000050	सिंडिकेट बैंक ऊना	61139.10
15	8448	ट्रेज़री पी० एल० ए० ऊना	9534
16	सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि		6326046.15
			<b>योग = 82624219.98</b>

(घ) पी० एल० ए० ऊना, डाकघर ऊना में दिनांक 31-03-17 को ₹9534 शेष दर्शाई गई है, परन्तु उक्त खाते की पास बुक तथा डाकघर का प्रमाण पत्र आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत

नहीं किया गया। अतः उक्त खाते की पासबुक आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

**(ड) सावधिक निवेश**

दिनांक 31.03.2017 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है जिसका विवरण परिशिष्ट - (ग) पर भी दिया गया है।

एफ०डी ०सं०	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	ब्याज दर	अवधि	बैंक का नाम
597939	18-6-16	6326046.15	18-6-17	6814011.20	7.50%	12 माह	सिंडिकेट बैंक ऊना

(च) कर्मचारी भविष्य निधि विभाग द्वारा स्वेच्छा से नगर परिषद ऊना के के० सी० सी० बी० ऊना खाता संख्या 20013034833 से दिनांक 19-08-16 को ₹15.65 लाख को आहरित करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

जांच के दौरान पाया गया कि बैंक समाधान विवरणी में कर्मचारी भविष्य निधि विभाग द्वारा स्वेच्छा से नगर परिषद ऊना के के० सी० सी० बी० ऊना खाता संख्या 20013034833 से दिनांक 19-08-16 को ₹1564647 आहरित की गई, परन्तु उक्त राशि कर्मचारी भविष्य निधि विभाग द्वारा स्वेच्छा से नगर परिषद ऊना के खाते से किस उद्देश्य हेतु आहरित की गई, उक्त राशि किस अवधि की बकाया राशि थी व उक्त राशि में किन कर्मचारियों/ठेकेदारों की बकाया राशि थी, से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221 दिनांक 23-09-2017 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना से अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने हेतु मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया व न ही स्वेच्छा से राशि आहरित करने से सम्बन्धित उक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त अभिलेख के अभाव में कर्मचारी भविष्य निधि विभाग द्वारा स्वेच्छा से नगर परिषद ऊना के खाते से आहरित की गई ₹1564647 की सत्यता की जांच वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। अतः कर्मचारी भविष्य निधि विभाग द्वारा स्वेच्छा से नगर परिषद ऊना के खाता संख्या 20013034833 से दिनांक 19-08-16 को आहरित की गई ₹1564647 से सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्वेच्छा से नगर परिषद ऊना के खाते से उक्त आहरित की गई ₹1564647 की सत्यता की जांच सम्भव हो सके।

**5 पेंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति**

(क) नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट - (घ) पर अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सुचना के अनुसार पेंशन एवं उपदान निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित है

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुलयोग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	120669.75	10151890	9672	10282231.75	9202396	1079835.75
2016-17	1079835.75	6760419	19281	7859535.75	7335307	524228.75

(ख) दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा शेष राशि

खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1420139992	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	524228.75

(ग) पेंशन एवं उपदान निधि के सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा ₹0.61 लाख टी० डी० एस० काटे जाने बारे

अंकेक्षण के दौरान जांच करने पाया गया कि नगर परिषद ऊना में पेंशन एवं उपदान निधि से पी० एन० बी० ऊना में वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों के वसूली योग्य ब्याज से बैंक द्वारा टी० डी० एस० काटा गया है जिसके कारण नगर परिषद को ब्याज के रूप में निम्नानुसार ₹61031 की हानि हुई है।

क्रम सं०	एफ० डी० संख्या	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	परिपक्ता तिथि	परिपक्ता योग्य राशि	वसूली/पुनः निवेशित राशि	टी० डी० एस० कटौती
1	597939	18-6-14	5396329.54	18-06-15	5901522.75	5890351.94	11170.81
2	597939	18-6-15	5890351.94	18-06-16	6375906.37	6326046.15	49860.22
<b>योग</b>							<b>61031.03</b>

टी० डी० एस० काटने के कारण उक्त ब्याज स्वरूप हुई हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या - 220 दिनांक 23-09-17 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः टी.डी.एस.काटने के कारण उक्त ब्याज स्वरूप हुई हानि ₹61031 का रिफंड लेने का मामला आयकर विभाग व सम्बन्धित बैंक से उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि टी० डी० एस० की राशि वापिस प्राप्ति की जा सके। कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

#### 6 एन यू एल एम (NULM) निधि की वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट -ड. पर अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार एन यू एल एम (NULM) निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित है

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	0	1044000	3558	1047558	505157	542401
2016-17	542401	458900	17786	1019087	544793	474294

(ख) दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा शेष राशि

खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
3480981130	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया ऊना	475747

(ग) बैंक समाधान विवरण

दिनांक 31.03.2017 को रोकड़बही के अनुसार अन्तिम शेष						474294
जमा (+)	चैक निर्गमित किए गए लेकिन दिनांक 31.03.2017 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए					1453
	क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	बैंक का नाम	राशि	
	1	026151	23-03-17	सी०बी०आई० ऊना	1453	
दिनांक 31.03.2017 को पासबुक के अनुसार अन्तिम शेष						475747

#### 7 एच० एफ० ए० (HFA) निधि की वित्तीय स्थिति

(क) नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट-च पर अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार एच० एफ० ए० (HFA) निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित है

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
--------------	-------------	----	-------	---------	------	------------

2016-17	0	42845364	0	42845364	11103	42834261
---------	---	----------	---	----------	-------	----------

(ख) दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा शेष राशि :-

खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
2066201001061	कैनरा बैंक ऊना	42834261

**8 प्रतिभूति (Security) निधि की वित्तीय स्थिति**

(क) नगर परिषद ऊना द्वारा परिशिष्ट-छ पर अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार प्रतिभूति (Security) निधि की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्नलिखित है

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	व्याज	कुलयोग	व्यय	अन्तिम शेष
2015-16	1213636	435948	48492	1698076	79217	1618859
2016-17	1618859	945603	82543	2647005	654588	1992417

(ख) दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा शेष राशि :-

खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि
1420139981	कैनरा बैंक ऊना	1967002

(ग) बैंक समाधान विवरण:-

रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	<b>1992417</b>
जमा :- दिनांक 1-04-2015 को आरम्भिक शेष के रूप में ₹1243231 के स्थान पर ₹1213636 कम शेष उठाना	(+)29595
घटाव :- बैंक में जमा करवाया गया लेकिन दिनांक 31-03-2017 बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं दिया गया, बैंक सं0 727372 सीबीआई ऑफ़ इंडिया ऊना दिनांक 31-03-2017 को पास बुक के अनुसार शेष	(-)55010
	<b>1967002</b>

**9 नगर परिषद ऊना के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण**

नगर परिषद ऊना की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2012-13	48033466.05	44800600
2013-14	35138247.28	31649894
2014-15	52987520.96	30403197

**10 अनुदान**

(क) अंकेक्षण अवधि 1.4.15 से 31.3.17 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर परिषद को प्राप्त अनुदान राशियों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है, जिसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवदेन के परिशिष्ट – (ज) पर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	कुल योग	वर्ष के दौरान व्यय राशि	अन्तिम शेष
2015-16	32771556.44	39384250	72155806.44	38186803	33969003.44
2016-17	33969003.44	40998654	74967657.44	46956179	28011478.44

**(ख) अनुदानों की ₹280.11 लाख व्यय हेतु शेष**

अंकेक्षण को परिशिष्ट-(ज) के अनुसार उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 को गत वर्षों के अनुदानों के रूप में प्राप्त राशियों के रूप में से ₹28011478.44 व्यय हेतु शेष पाई गई। अनुदान राशियों का अत्याधिक मात्रा में शेष रहना व अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहाँ एक ओर अनुदानों का अनावश्यक संग्रह हुआ है वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए हैं।

अतः अनुपयुक्त इस राशि को समयबद्ध प्रयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयुक्त ₹28011478.44 को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर समयवध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

**(ग) ₹851.43 लाख के व्यय से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना**

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट-(ज) के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से वितीय वर्ष 2015-16 में ₹38186803 व 2016-17 में ₹46956179 कुल ₹85142982 का व्यय किया गया दर्शाया गया है, लेकिन अनुदान की राशि जिन जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय की गयी है, उसकी सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी क्योंकि नगर परिषद द्वारा अनुदान रजिस्टर को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया गया तथा न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गये। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह/ दिनांक, बिल/ वाऊचर इत्यादि से संबन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, ताकि व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

**11 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की प्राप्त अनुदान राशि से ₹456.94 लाख का अनुचित व्यय**

अंकेक्षण के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की प्राप्त अनुदान राशि एवं उससे किए गए व्यय की जाँच करने पर पाया गया की वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार ₹50844567 की अनुदान राशि प्राप्त हुई थी

क्रम संख्या	प्राप्ति की तिथि	पत्र संख्या	प्राप्त राशि (₹)
1	28-05-15	UD-H(C) (10)-1/2015 दिनांक 28-05-15	24108159
2	6-11-15	UD-H(C) (10)-1/2015 -15317-1549 दिनांक 6-11-15	616752
3	20-07-16	UD-H(F)(10)-3/2015-8560-92 दिनांक 12-07-16	26119656
<b>योग</b>			<b>50844567</b>

उपरोक्त प्राप्त समस्त अनुदानों में से वितीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान क्रमश ₹29807430 व ₹32937137 का व्यय किया गया। अनुदान जारी करने से सम्बन्धित उपरोक्त पत्रों के अनुसार अनुदान की प्राप्त राशि का उपयोग निम्न उद्देश्यों हेतु किया जाना अपेक्षित था।

(i) Maintenance of Assets (Like streets, Street lighting, Public toilets, Parks, Office building, Town halls, Drainage etc.)

(ii) Performance of statutory and delegated function

(iii) Honorarium to elected representative.

नगर परिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुदान का उपयोग वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु किया गया था जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार से है तथा विस्तृत विवरण परिशिष्ट – झ पर दिया गया है।

क्रम संख्या	व्यय का विवरण	राशि (₹)
1	कर्मचारियों के वेतन व भत्तों का भुगतान	24643711
2	कर्मचारियों के जी० पी० एफ०, सी० पी० एफ० व ई० पी० एफ० का भुगतान	5420124
3	कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान	543077
4	पेंशन एंड ग्रेजुटी निधि को हस्तांतरण	4272234
5	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतान	4643573
6	कर्मचारियों के यात्रा भत्तों का भुगतान	8180
7	1% डिपार्टमेन्टल चार्जेज ऑफ़ बजट	922190
8	कॉन्ट्रिब्यूशन टू मीट डैफीसिट फण्ड	5241401
<b>कुल अनियमित व्यय</b>		<b>45694490</b>

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान से उपरोक्त विवरणानुसार किए गए अनुचित एवं अनियमित व्यय ₹45694490 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-250 दिनांक 2-11-17 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ अंकेक्षण के दौरान ही लाया गया, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। नगर परिषद के विकास कार्यों एवं अनुदान की शर्तों के अनुसार व्यय न करके अन्य उद्देश्यों हेतु अनुदान का उपयोग करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान से उपरोक्त विवरणानुसार किए गए अनुचित एवं अनियमित ₹45694490 के व्यय बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से किए गए व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की उचित स्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि सम्बन्धित अनुदान में जमा की जाए। उपरोक्त गम्भीर मामला निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

## 12 दिनांक 31-03-2017 तक अग्रिमों की ₹4.02 लाख का समायोजन न करना

नगर परिषद ऊना द्वारा निम्न विभागों को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु अस्थायी अग्रिमों की राशियाँ प्रदान की गई थी। इन अग्रिम राशियों में से प्रत्येक विभाग के सामने दर्शाई गई राशि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-03-17 तक असमायोजित थी। अतः असमायोजित ₹402482 के समायोजन हेतु उचित कार्यवाई अमल में लाई जाए। यदि यह कार्य पूर्ण हो चुके हो तो शेष राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाए जाए तथा वसूल की गई राशि को सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाए। उक्त अग्रिम असमायोजित राशि का विवरण (परिशिष्ट- ण) पर भी दिया गया है।

क्र०सं०	विभाग का नाम	मास	उद्देश्य	राशि
1	SDO Electricity Sub Division No.1 Una	4/74	Installation of new point in Moh. Ohrian	66
2	SDO Electricity Board Una	6/74	Installation of street light points	243
3	SDO Electricity Sub Division No.1 Una	6/74	Installation of street light point in the park near Rest House	1008
4	Executive Engineer Division Una	5/75	Installation of street light points	189
5	Executive Engineer Division Una	6/82	Installation of street light points	12632
6	Asst. Executive Engineer HPSEB Division Una	12/82	Installation of street light points near Indira Ground Moh. Khadpur Una	751
7	Executive Engineer Division Una	5/83	Installation of 10 Nos Street Light points in M.L. Area	3478
8	Executive Engineer Division Una	6/87	Installation of 24 Nos additional street light points	21759
9	Executive Engineer HPPWD(B&R) Una	5/88	C/o Boundary wall to working women hostel at una	39528
10	Executive Engineer Division Una	5/88	Installation of 23 Nos light points	6568
11	Executive Engineer HPPWD(B&R) Una	5/88	C/o Working women Hostel at Una	242670
12	Executive Engineer Division Una	2/91	Installation of 36 Nos light points	25000
13	Executive Engineer Division Una	4/91	Installation of 36 Nos light points	39924
14	Executive Engineer Division Una	9/94	Installation of 4 Nos light points	8666

योग = 402482

**13 NRY योजना के अन्तर्गत Shelter Upgradation स्कीम के लाभार्थियों से ₹0.81 लाख की वसूली शेष**

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-ट) के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक NRY योजना के अधीन Shelter Upgradation के लाभार्थियों से ₹80840 की वसूली शेष थी। अतः उक्त राशि को सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूल करना सुनिश्चित किया जाये।

**14 अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी अग्रिम ₹0.21 लाख का समायोजन न करना**

नगर परिषद ऊना द्वारा दिनांक 31-03-17 तक विभिन्न कार्यों/उद्देश्यों हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों को अग्रिमों की ₹21000 जारी की गई थी, जिसका दिनांक 31-03-17 तक समायोजन नहीं किया गया। अतः अग्रिम राशियों को समायोजन न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इन राशियों का शीघ्र अति शीघ्र समायोजन किया जाए। उक्त अग्रिम असमायोजित राशि का विवरण (परिशिष्ट-ठ) पर भी दिया गया है।

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद नाम	मास	उद्देश्य	राशि
-------------	----------------------------------	-----	----------	------

1	श्री राजिंदर कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	4/12	To meet the expenses for inauguration of shopping complex Arvind Marg Una on dated 11-04-12	7000
2	श्री राजिंदर कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	11/16	For repairing of sanitation vehicles	10000
3	श्रीमती मंजू बाला, कनिष्ठ सहायक	8/14	For purchase of postage stamps	2000
4	श्री सोम नाथ, चपरासी	10/16	For repair of M.C. vehicles	2000
<b>योग</b>				<b>21000</b>
15	गृहकर, दुकानों के किराये व मोबाईल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹59.49 लाख वसूली हेतु शेष दिनांक 31.03.2017 तक निम्न शीर्षों के अंतर्गत ₹5948933 की वसूलियां निम्न विवरनानुसार शेष थी।			

क्रम संख्या	विवरण	राशि	परिशिष्ट
1	गृहकर	3073889	ड - 1
2	दुकान किराया	2640994	ड - 2
3	मोबाईल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क	233250	ड - 3
<b>कुल योग</b>		<b>5948133</b>	

निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या ULB-H(A)1-87-9237-9284 दिनांक 20-06-01 के अनुसार गृहकर एवं अन्य बकाया राशियों की 100% वसूली करने के आदेश दिए गए थे तथा विफलता पर सम्बन्धित सचिव कार्यकारी अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाना था। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा उक्त पत्र के दिशा निर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही है अन्यथा दिनांक 31-03-17 को इतनी अधिक राशि वसूली योग्य शेष न रहती। अतः परामर्श दिया जाता है कि बकाया राशियों की वसूली हेतु अविलम्ब समुचित पग उठाये जाएं ताकि नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित न हों।

**(क) दिनांक 31-03-2017 को गृहकर की ₹30.74 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना**

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट (ड -1) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2017 को गृहकर के रूप में ₹3073889 वसूली हेतु शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत रहती है तो संबंधित नगर परिषद/ नगर परिषद सचिव कार्यकारी अधिकारी लिखित से सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद / नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को

वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में आज तक किसी भी कार्यवाही को अमल में नहीं लाया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि गृह कर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

( ख) दुकानों के किराये के रूप में दिनांक 31-03-2017 को ₹26.41 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट (ड-2) के अनुसार अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 को किराये के रूप में ₹2640994 वसूली हेतु शेष थे। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय है देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी यह आय अदत रहती है तब सम्बन्धित नगर परिषद/परिषद सचिव/कार्यकारी अधिकारी लिखित रूप में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित पत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद /नगर परिषद/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है, तब सम्बन्धित सचिव/कार्यकारी अधिकारी कर देय राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवम् विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है, परन्तु नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। अतः परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

( ग) मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹2.33 लाख की वसूली न करना:-

सचिव (आई० टी०) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: डी० ई० वी० - (आई० टी०) 2005 / विविध दिनांक 22.08.2006 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियां अपने टावर लगाती है, तो उनसे ₹10,000 टावर स्थापना शुल्क तथा ₹5000 प्रतिवर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित है तथा प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ोतरी करनी अनिवार्य है। जांच के दौरान पाया गया कि कम्पनियों ने नगर परिषद क्षेत्र में अपने मोबाईल टावर स्थापित किए हैं तथा उनसे नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूल नहीं की गई है, जिसकी वसूली शीघ्र की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। मोबाईल कम्पनियों से वसूली योग्य राशि का विवरण परिशिष्ट (ड-3) पर दिया गया है।

16 गृह कर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण ₹3.07 लाख की हानि

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-4-99 दिनांक 20-06-03 के अनुसार चालू वर्ष की गृह कर का बिल जारी होने के उपरान्त 10 दिनों के भीतर कर जमा करवाने पर, कर की राशि पर 20% की छूट की जानी अपेक्षित थी, परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज लगाया जाना अपेक्षित था। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा यद्यपि निर्धारित समय पर कर चुकाने पर 20% की छूट दी थी। परन्तु निर्धारित समय पर कर न चुकाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज नहीं लगाया गया था, जिस कारण नगर

परिषद को दिनांक 31-03-17 तक गृह कर के रूप में वसूली हेतु शेष ₹3074689 पर 10% सरचार्ज के रूप में कम से कम ₹307469 (3074689 x 10%) की वित्तीय हानि उठानी पड़ी। गृह कर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण हुई हानि ₹307469 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या –253 दिनांक 3-11-17 के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ऊना की ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः सरचार्ज न लगाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा समय पर गृह कर न चुकाने वाले गृह कर दाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए

**17 खाली दुकानों को पुनः खुली बोली द्वारा किराये पर न देने के कारण नगर परिषद को ₹2.78 लाख की वित्तीय हानि**

दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि दुकान संख्या 26, 27, 28, 29, 30 व 31 को सम्बन्धित दुकानदारों द्वारा अंकेक्षण अवधि 1-04-15 से 31-03-2017 तक के दौरान विभिन्न तिथियों को खाली कर दिया था, लेकिन नगर परिषद द्वारा उक्त खाली की गई दुकानों को दिनांक 31-03-2017 तक पुनः खुली बोली द्वारा किराये पर नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को निम्नविवरनानुसार अंकेक्षण अवधि 1-04-15 से 31-03-2017 तक ₹277790 की किराये के रूप में वित्तीय हानि हुई।

क्रम सं०	दुकान संख्या	पुराना मासिक किराया	दुकान खाली रहने की अवधि	जितने माह खाली रही	आय की हानि
1	26	2600	1-04-2015 से 31-03-2017	24	2600 x 24 = 62400
2	27	1870	1-09-2016 से 31-03-2017	7	1870 x 7 = 13090
3	28	2500	1-09-2016 से 31-03-2017	7	2500 x 7 = 17500
4	29	2600	1-04-2015 से 31-03-2017	24	2600 x 24 = 62400
5	30	2600	1-04-2015 से 31-03-2017	24	2600 x 24 = 62400
6	31	2500	1-04-2015 से 31-03-2017	24	2500 x 24 = 60000

**योग = 277790**

उक्त किराये के रूप में हुई वित्तीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 241 दिनांक 26-10-2017 के माध्यम से सचिव नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुतर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या: एम सी यू/audit/2017-2638 दिनांक 2-11-17 में स्पष्ट किया कि नगर परिषद ऊना द्वारा उक्त दुकानों को किराये पर देने हेतु अखबारों में प्रचार किया गया, लेकिन उक्त दुकानों को किराये पर लेने हेतु किसी ने बोली नहीं दी। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत उक्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि उक्त दुकानों को किराये पर देने हेतु अखबारों में प्रचार करने से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दुकानों को किराये पर न देने के कारण दिनांक 31-03-17 तक हुई वित्तीय हानि ₹277790 का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व उपरोक्त दुकानों को शीघ्र अतिशीघ्र खुली

बोली द्वारा किराये पर देने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए। उक्त दुकानों को किराये पर न देने के कारण दिनांक 31-03-17 तक हुई हानि ₹277790 की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित भी करवाया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**18** **पार्किंग एंड शॉपिंग कॉम्प्लैक्स (अरविन्द मार्ग) ऊना में नगर परिषद के दो हाल किराये पर न देने के फलस्वरूप ₹14.16 लाख की वित्तीय हानि**

अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या – 235 दिनांक 10-10-2017 द्वारा मांगी गई सूचना कि नगर परिषद ऊना के पार्किंग एंड शॉपिंग कॉम्प्लैक्स (अरविन्द मार्ग) में दो हाल को अंकेक्षण अवधि के दौरान किराये पर दिए गये हैं या नहीं, जिसके प्रतियुतर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या: एम सी यू/audit/2017-2636 दिनांक 2-11-17 में स्पष्ट किया कि नगर परिषद ऊना द्वारा कार पार्किंग की उपरी मंजिल पर बने 2 हालों को अवधि 1-04-15 से 31-03-2017 के दौरान मासिक किराये पर नहीं दिया गया। गत वर्ष माह 4/12 में नगर परिषद द्वारा उक्त हॉलों का मासिक किराया ₹32500 व ₹26500 निर्धारित किया गया था, परन्तु उक्त हॉलों को अवधि 1-04-15 से 31-03-2017 तक मासिक किराये पर नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप नगर परिषद को किराये के रूप में ₹1416000 की निम्नानुसार वित्तीय हानि हुई।

अवधि	मास	किराया (प्रति माह)	विवरण	राशि
4/15 से 3/17	i) 24 माह	32500	i) हॉल	780000
	ii) 24 माह	26500	ii) हॉल	636000
			<b>योग</b>	<b>1416000</b>

उक्त वित्तीय हानि के संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा अपने पत्र संख्या: एम सी यू/audit/2017-2636 दिनांक 2-11-17 में स्पष्ट किया कि नगर परिषद के पार्किंग एंड शॉपिंग कॉम्प्लैक्स (अरविन्द मार्ग) में दो हालों को किराये पर देने हेतु वार- वार प्रचार करके प्रयास किया गया व नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव पारित करके अब हॉलों में कार्यालय तबदील करने का निर्णय लिया है। नगर परिषद् द्वारा प्रस्तुत उक्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि न तो 2 हॉलों को किराये पर देने के प्रचार से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए गए और न ही कार्यालय को उक्त हॉलों में तबदील किया गया है। अतः उक्त हॉलों को अंकेक्षण अवधि 1-04-15 से 31-03-17 तक मासिक किराये पर न देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व 2 हॉलों को अंकेक्षण अवधि 1-04-15 से 31-03-17 के दौरान मासिक किराये पर न देने के कारण नगर परिषद ऊना को हुई वित्तीय हानि ₹1416000 का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व उक्त 2 हॉलों को शीघ्र अति शीघ्र मासिक किराए पर दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**19** **अवधि 1-06-16 से 31-05-17 के लिए कार पार्किंग का ठेका गत वर्ष की दरों से कम दरों पर देने के कारण नगर परिषद को हुई ₹0.35 लाख की वित्तीय हानि**

जाँच के दौरान पाया गया कि कार पार्किंग का ठेका वर्ष 2015-16 में ₹155000 के लिए श्री रजत कुमार सुपुत्र श्री विजय कोहली निवासी पुल वाला बाज़ार वार्ड नंबर-5 ऊना को आबंटित किया गया व अवधि 1-06-16 से 31-05-17 के दौरान भी कार पार्किंग का ठेका ₹120000 में

भी श्री रजत कुमार सुपुत्र श्री विजय कोहली निवासी पुल वाला बाज़ार वार्ड नंबर-5 ऊना को दिया गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में अवधि 1-06-16 से 31-05-17 के लिए कम दरों पर ठेका देने करने के कारण नगर परिषद को ₹35000 (155000-120000) की वित्तीय हानि हुई है। नियमानुसार गत वर्ष की दरों की तुलना में कम दरों पर ठेका आबंटित करना तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत वर्ष की ठेके की राशि को आगामी वर्ष के लिए सुरक्षित/आधार मूल्य निर्धारित करके तय किया जाना अपेक्षित था। उक्त कार पार्किंग का ठेका अवधि 1-06-16 से 31-05-17 तक के लिए गत वर्ष की दरों से कम दरों पर आबंटित करने के कारण नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि ₹35000 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 237 दिनांक 13-10-2017 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतियुतर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या: एम सी यू / audit/ 2107-2639 दिनांक 2-11-17 द्वारा स्पष्ट किया कि कार पार्किंग को ठेके पर देने हेतु दिनांक 28-03-16 को खुली बोली रखी गई थी लेकिन किसी भी बोली दाता द्वारा आरक्षित ₹155000 पर बोली नहीं की गई। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत उक्त उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है क्योंकि आगामी वर्ष हेतु कार पार्किंग का ठेका आरक्षित मूल्य ₹155000 से कम मूल्य पर नहीं दिया जा सकता है। अतः अवधि 1-06-16 से 31-05-17 के दौरान कार पार्किंग के ठेके को गत वर्ष के ठेके के आधार पर न करने के कारणों को नियमानुसार स्पष्ट किया जाए व गत वर्ष की ठेके की राशि को आगामी वर्ष के लिए सुरक्षित/आधार मूल्य निर्धारित न करने के कारण हुई हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 20 शराब शुल्क की वसूली न करना

जाँच के दौरान पाया गया की वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये की दर से शराब की वसूली नहीं की गई है। अतः इस बारे मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा उक्त अवधि के लिए शराब कर की वसूली शीघ्र करके इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

## 21 विधुत उपयोग कर की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल० एस० जी० डी० (1) 9/94 दिनांक 24-08-2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विधुत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किये जाने का प्रावधान था, लेकिन नगर परिषद द्वारा अवधि 1-04-16 से 31-03-17 के लिए विधुत उपयोग कर की वसूली विधुत विभाग से नहीं की गई है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख /आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण को आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किए जाए।

## 22 नगर परिषद ऊना में कार्यरत मिस्त्री, बेलदारों, सफाई कर्मचारियों, चपरासी, चौकीदार व ड्राईवर कर्मचारियों को बकाया वेतन व वेतन बिलों के रूप में ₹7.94 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान

नगर परिषद द्वारा मिस्त्रियों, बेलदारों, सफाई कर्मचारियों, चपरासी, चौकीदार व ड्राईवर कर्मचारियों का निम्न विवरणानुसार ₹7.94 लाख का अधिक व गलत भुगतान किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा जिसकी नगर परिषद स्तर पर जांच करके अपेक्षित राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(क) बकाया वेतन व वेतन बिलों के रूप में श्री बीरबल मिस्त्री को ₹14778 व श्री हरजीत मिस्त्री को ₹14778 कुल ₹29556 का अधिक एवं गलत भुगतान

(i) श्री बीरबल मिस्त्री

श्री बीरबल, मिस्त्री के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-07-15 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹14778 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री बीरबल मिस्त्री को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 6-07-2007 पूर्वाहन
1-07-15	8350+1950=10300	
1-07-16	8660+1950=10610	
6-07-16	8980+2000=10980	9 year ACP dated 6-07-16

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री बीरबल मिस्त्री को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-07-15 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	स्थापना जाँच रजिस्टर के अनुसार दिया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)
1-7-15	8650+1950=10600
1-7-16	8970+1950=10920
6-7-16	9300+2000=11300

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री बीरबल मिस्त्री, को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹14778 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-07-15 से 31-12-15	10300	10600	300	119	357.00		657.00	6	3942
1-01-16 से 30-06-16	10300	10600	300	125	375.00		675.00	6	4050
1-07-16 से 5-07-16	10610	10920	310	130	403.00		713.00	5 day	115
6-07-16 से 31-07-16	10980	11300	320	130	416.00		736.00	26 days	617
1-08-16 से 31-12-16	10980	11300	320	130	416.00	16	752.00	5	3760

1-01-17 से  
31-03-17

10980      11300      320      134      428.80      16      764.80      3      2294

**योग 14778**

**(ii) श्री हरजीत, मिस्त्री**

श्री हरजीत, मिस्त्री के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-07-15 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹14778 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री हरजीत मिस्त्री को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
			कार्य ग्रहण की तिथि 6-07-2007 पुर्वाह्न
1	1-07-15	8350+1950=10300	
2	1-07-16	8660+1950=10610	
3	6-07-16	8980+2000=10980	9 year ACP dated 6-07-16

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री हरजीत मिस्त्री द्वारा बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-07-15 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन आहरित किया गया है।

क्रम संख्या	वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	स्थापना जाँच रजिस्टर के अनुसार दिया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)
1	1-7-15	8650+1950=10600
2	1-7-16	8970+1950=10920
3	6-7-16	9300+2000=11300

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन की जगह अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री हरजीत मिस्त्री, को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹14778 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की सं०	कुल योग
1-07-15 से 31-12-15	10300	10600	300	119	357.00		657.00	6	3942
1-01-16 से 30-06-16	10300	10600	300	125	375.00		675.00	6	4050
1-07-16 से 5-07-16	10610	10920	310	130	403.00		713.00	5 day	115
6-07-16 से 31-07-16	10980	11300	320	130	416.00		736.00	26 days	617
1-08-16 से 31-12-16	10980	11300	320	130	416.00	16	752.00	5	3760
1-01-17 से 31-03-17	10980	11300	320	134	428.80	16	764.80	3	2294
<b>योग</b>									<b>14778</b>

अतः क्रम संख्या (i) व (ii) पर दर्शाए गए ₹29556 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी

कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) नगर परिषद ऊना में कार्यरत बेलदारों को बकाया वेतन व वेतन बिलों के रूप में ₹1.75 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान:-

(i) श्री कुलदीप चन्द, बेलदार

श्री कुलदीप चन्द, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-10-12 से 31-03-17 के दौरान वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹9857 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। श्री कुलदीप चन्द, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 29-08-2007 पूर्वाहन
1-10-12	6130+1650=7780	
1-08-13	6370+1650=8020	
1-08-14	6610+1650=8260	
1-08-15	6860+1650=8510	
1-08-16	7120+1650=8770	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री कुलदीप चन्द बेलदार को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 के दौरान निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	6140+1650=7790	
1-08-13	6380+1650=8030	
1-08-14	6620+1650=8270	
1-08-15	6870+1650=8520	
1-08-16	7130+1650=8780	
29-08-16	7400+1900=9300	दिनांक 29-08-16 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई। जोकि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1-10-12 से संशोधित ग्रेड पे प्रदान की गई थी।

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन का भुगतान करने के कारण श्री कुलदीप चन्द बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹9857 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे +	अन्तर	महंगाई भत्ते की	महंगाई भत्ते की	आई आर @ 5% (1-08-	योग	मासों की	कुल योग
------	-------------------------------	--------------------------	-------	--------------------	--------------------	----------------------	-----	-------------	------------

		ग्रेड पे)		दर @%	राशि	16)		संख्या	
1-10-12 से 31-12-12	7780	7790	10	72	7.20		17.20	3	52
1-01-13 से 30-06-13	7780	7790	10	80	8.00		18.00	6	108
1-07-13 से 31-07-13	7780	7790	10	90	9.00		19.00	1	19
1-08-13 से 31-12-13	8020	8030	10	90	9.00		19.00	5	95
1-01-14 से 30-06-14	8020	8030	10	100	10.00		20.00	6	120
1-07-14 से 31-07-14	8020	8030	10	107	10.70		20.70	1	21
1-08-14 से 31-12-14	8260	8270	10	107	10.70		20.70	5	104
1-01-15 से 30-06-15	8260	8270	10	113	11.30		21.30	6	128
1-07-15 से 31-07-15	8260	8270	10	119	11.90		21.90	1	22
1-08-15 से 31-12-15	8510	8520	10	119	11.90		21.90	5	110
1-01-16 से 30-06-16	8510	8520	10	125	12.50		22.50	6	135
1-07-16 से 31-07-16	8510	8520	10	130	13.00		23.00	1	23
1-08-16 से 28-08-16	8770	8780	10	130	13.00	1	23.50	28 days	21
29-8-16 से 31-08-16	8770	9300	530	130	689.00	27	1245.50	3 days	117
1-09-16 से 31-12-16	8770	9300	530	130	689.00	27	1245.50	4	4982
1-01-17 से 31-03-17	8770	9300	530	134	710.20	27	1266.70	3	3800
<b>योग</b>									<b>9857</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹9857 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ii) श्री सुचा सिंह, बेलदार**

श्री सुचा सिंह, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-10-12 से 31-03-17 के दौरान वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹9508 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री सुचा सिंह, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	6130+1650=7780	कार्य ग्रहण की तिथि 7-09-2007 पूर्वाहन
1-09-13	6370+1650=8020	
1-09-14	6610+1650=8260	

1-09-15 6860+1650=8510  
1-09-16 7120+1650=8770

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री सुचा सिंह, बेलदार को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 के दौरान निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	6140+1650=7790	
1-09-13	6380+1650=8030	
1-09-14	6620+1650=8270	
1-09-15	6870+1650=8520	
1-09-16	7130+1650=8780	
7-09-16	7400+1900=9300	

दिनांक 7-09-16 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1-10-12 से संशोधित ग्रेड पे प्रदान की गई थी।

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन का भुगतान करने के कारण श्री सुचा सिंह, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹9508 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08- 16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	7780	7790	10	72	7.20		17.20	3	52
1-01-13 से 30-06-13	7780	7790	10	80	8.00		18.00	6	108
1-07-13 से 31-08-13	7780	7790	10	90	9.00		19.00	2	38
1-09-13 से 31-12-13	8020	8030	10	90	9.00		19.00	4	76
1-01-14 से 30-06-14	8020	8030	10	100	10.00		20.00	6	120
1-07-14 से 31-08-14	8020	8030	10	107	10.70		20.70	2	41
1-09-14 से 31-12-14	8260	8270	10	107	10.70		20.70	4	83
1-01-15 से 30-06-15	8260	8270	10	113	11.30		21.30	6	128
1-07-15 से 31-08-15	8260	8270	10	119	11.90		21.90	2	44
1-08-15 से 31-12-15	8510	8520	10	119	11.90		21.90	5	110
1-01-16 से 30-06-16	8510	8520	10	125	12.50		22.50	6	135
1-07-16 से 31-07-16	8510	8520	10	130	13.00		23.00	1	23
1-08-16 से 31-08-16	8510	8520	10	130	13.00	1	23.50	1	24
1-09-16 से 6-09-16	8770	8780	10	130	13.00	1	23.50	6 days	5
7-09-16 से 30-09-16	8770	9300	530	130	689.00	27	1245.50	24 days	984

1-10-16 से 31-12-16	8770	9300	530	130	689.00	27	1245.50	3	3737
1-01-17 से 31-03-17	8770	9300	530	134	710.20	27	1266.70	3	3800
								<b>योग</b>	<b>9508</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹9508 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(iii) श्री कमल देव, बेलदार**

श्री कमल देव, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-10-12 से 31-03-17 के दौरान वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹11966 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री कमल देव, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
---------------------------------	-----------------------------	---------

कार्य ग्रहण की तिथि 6-07-2007 पूर्वाहन

1-10-12	6130+1650=7780
1-07-13	6370+1650=8020
1-07-14	6610+1650=8260
1-07-15	6860+1650=8510
1-07-16	7120+1650=8770

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री कमल देव, बेलदार को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
---------------------------------	--	---------

1-10-12	6140+1650=7790
1-07-13	6380+1650=8030
1-07-14	6620+1650=8270
1-07-15	6870+1650=8520
1-07-16	7130+1650=8780
6-07-16	7400+1900=9300

दिनांक 6-07-16 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी का ग्रेड पे दिनांक 1-10-12 को संशोधित हुआ है।

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री कमल देव, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹11966 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की सं०	कुल योग
1-10-12 से	7780	7790	10	72	7.20		17.20	3	52

31-12-12									
1-01-13 से 30-06-13	7780	7790	10	80	8.00		18.00	6	108
1-07-13 से 31-12-13	8020	8030	10	90	9.00		19.00	6	114
1-01-14 से 30-06-14	8020	8030	10	100	10.00		20.00	6	120
1-07-14 से 31-12-14	8260	8270	10	107	10.70		20.70	6	124
1-01-15 से 30-06-15	8260	8270	10	113	11.30		21.30	6	128
1-07-15 से 31-12-15	8510	8520	10	119	11.90		21.90	6	131
1-01-16 से 30-06-16	8510	8520	10	125	12.50		22.50	6	135
1-07-16 से 5-07-16	8770	8780	10	130	13.00		23.00	5 day	4
6-07-16 से 31-07-16	8770	9300	530	130	689.00		1219.00	26 days	1022
1-08-16 से 31-12-16	8770	9300	530	130	689.00	26.50	1245.50	5	6228
1-01-17 से 31-03-17	8770	9300	530	134	710.20	26.50	1266.70	3	3800
								<b>योग</b>	<b>11966</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹11966 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(iv) श्री मोती सिंह, बेलदार**

श्री मोती सिंह, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 18-11-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹56252 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री मोती सिंह, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 18-11-2008 पूर्वाहन
18-11-12	5710+1650=7360	
1-11-13	5930+1650=7580	
1-11-14	6160+1650=7810	
1-11-15	6400+1650=8050	
1-11-16	6650+1650=8300	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री मोती सिंह, बेलदार को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 18-11-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
18-11-12	5940+1900=7840	दिनांक 18-11-12 को गलत ए०सी०पी०

प्रदान की गई, जोकि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1-10-12 से संशोधित ग्रेड पे प्रदान की गई थी।

1-11-13	6180+1900=8080
1-11-14	6430+1900=8330
1-11-15	6680+1900=8580
1-11-16	6940+1900=8840

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री मोती सिंह, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹56252 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
18-11-12 से 30-11-12	7360	7840	480	72	345.60		825.60	13 days	358
1-12-12 से 31-12-12	7360	7840	480	72	345.60		825.60	1	826
1-01-13 से 30-06-13	7360	7840	480	80	384.00		864.00	6	5184
1-07-13 से 31-10-13	7360	7840	480	90	432.00		912.00	4	3648
1-11-13 से 31-12-13	7580	8080	500	90	450.00		950.00	2	1900
1-01-14 से 30-06-14	7580	8080	500	100	500.00		1000.00	6	6000
1-07-14 से 31-10-14	7580	8080	500	107	535.00		1035.00	4	4140
1-11-14 से 31-12-14	7810	8330	520	107	556.40		1076.40	2	2153
1-01-15 से 30-06-15	7810	8330	520	113	587.60		1107.60	6	6646
1-07-15 से 31-10-15	7810	8330	520	119	618.80		1138.80	4	4555
1-11-15 से 31-12-15	8050	8580	530	119	630.70		1160.70	2	2321
1-01-16 से 30-06-16	8050	8580	530	125	662.50		1192.50	6	7155
1-07-16 से 31-07-16	8050	8580	530	130	689.00		1219.00	1	1219
1-08-16 से 31-10-16	8050	8580	530	130	689.00	27	1245.50	3	3737
1-11-16 से 31-12-16	8300	8840	540	130	702.00	27	1269.00	2	2538
1-01-17 से 31-03-17	8300	8840	540	134	723.60	27	1290.60	3	3872
								<b>योग</b>	<b>56252</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹56252 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) श्री दलीप चन्द, बेलदार

श्री दलीप चन्द, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹11966 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री दलीप चन्द, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 6-07-2007 पूर्वाहन
1-10-12	6130+1650=7780	
1-07-13	6370+1650=8020	
1-07-14	6610+1650=8260	
1-07-15	6860+1650=8510	
1-07-16	7120+1650=8770	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री दलीप चन्द, बेलदार का बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन आहरित किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	6140+1650=7790	
1-07-13	6380+1650=8030	
1-07-14	6620+1650=8270	
1-07-15	6870+1650=8520	
1-07-16	7130+1650=8780	
6-07-16	7400+1900=9300	दिनांक 6-07-16 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1-10-12 से संशोधित ग्रेड पे प्रदान की गई थी।

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री दलीप चन्द, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹11966 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1- 08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	7780	7790	10	72	7.20		17.20	3	52
1-01-13 से 30-06-13	7780	7790	10	80	8.00		18.00	6	108
1-07-13 से 31-12-13	8020	8030	10	90	9.00		19.00	6	114
1-01-14 से	8020	8030	10	100	10.00		20.00	6	120

30-06-14									
1-07-14 से 31-12-14	8260	8270	10	107	10.70		20.70	6	124
1-01-15 से 30-06-15	8260	8270	10	113	11.30		21.30	6	128
1-07-15 से 31-12-15	8510	8520	10	119	11.90		21.90	6	131
1-01-16 से 30-06-16	8510	8520	10	125	12.50		22.50	6	135
1-07-16 से 5-07-16	8770	8780	10	130	13.00		23.00	5 day	4
6-07-16 से 31-07-16	8770	9300	530	130	689.00		1219.00	26 days	1022
1-08-16 से 31-12-16	8770	9300	530	130	689.00	26.50	1245.50	5	6228
1-01-17 से 31-03-17	8770	9300	530	134	710.20	26.50	1266.70	3	3800
								<b>योग</b>	<b>11966</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹11966 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(vi) श्री परमजीत, बेलदार**

श्री परमजीत, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 22-02-17 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹1434 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री परमजीत, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
22-02-17	5720+1650=7370	कार्य ग्रहण की तिथि 22-02-2013 पूर्वाह्न

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री परमजीत, बेलदार को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 22-02-17 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन आहरित किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
22-02-17	5950+1900=7850	दिनांक 22-02-17 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई 1 जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी का ग्रेड पे दिनांक 1-10-12 को संशोधित हुआ है।

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन भुगतान करने के कारण श्री परमजीत, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹1434 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे +	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर	महंगाई भत्ते की	आई आर @ 5% (1-08-	योग	मासों की संख्या	कुल योग
------	----------------------------	-----------------------	-------	--------------------	-----------------	-------------------	-----	-----------------	---------

		ग्रेड पे)		@%	राशि	16)			
22-02-17 से 28-02-17	7370	7850	480	134	643.20	24	1147.20	7 days	287
1-03-17 से 31-03-17	7370	7850	480	134	643.20	24	1147.20	1	1147
								<b>योग</b>	<b>1434</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹1434 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(vii) श्री राज कुमार चन्द, बेलदार**

श्री राज कुमार, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे की जगह अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹9861 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री राज कुमार, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 29-08-2007 पूर्वाहन
1-10-12	6130+1650=7780	
1-08-13	6370+1650=8020	
1-08-14	6610+1650=8260	
1-08-15	6860+1650=8510	
1-08-16	7120+1650=8770	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री राज कुमार, बेलदार को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन आहरित किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	6140+1650=7790	
1-08-13	6380+1650=8030	
1-08-14	6620+1650=8270	
1-08-15	6870+1650=8520	
1-08-16	7130+1650=8780	
29-08-16	7400+1900=9300	

दिनांक 29-08-16 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई, जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1-10-12 से संशोधित ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया गया था।

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री राज कुमार, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹9861 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान	दिया गया भुगतान	अन्तर	महंगाई भत्ते की	महंगाई भत्ते की	आई आर @ 5%	योग	मासों की संख्या	कुल योग
------	------------	-----------------	-------	-----------------	-----------------	------------	-----	-----------------	---------

	(पे + ग्रेड पे)	(पे + ग्रेड पे)		दर @%	राशि	(1-08-16)			
1-10-12 से 31-12-12	7780	7790	10	72	7.20		17.20	3	52
1-01-13 से 30-06-13	7780	7790	10	80	8.00		18.00	6	108
1-07-13 से 31-07-13	7780	7790	10	90	9.00		19.00	1	19
1-08-13 से 31-12-13	8020	8030	10	90	9.00		19.00	5	95
1-01-14 से 30-06-14	8020	8030	10	100	10.00		20.00	6	120
1-07-14 से 31-07-14	8020	8030	10	107	10.70		20.70	1	21
1-08-14 से 31-12-14	8260	8270	10	107	10.70		20.70	5	104
1-01-15 से 30-06-15	8260	8270	10	113	11.30		21.30	6	128
1-07-15 से 31-07-15	8260	8270	10	119	11.90		21.90	1	22
1-08-15 से 31-12-15	8510	8520	10	119	11.90		21.90	5	110
1-01-16 से 30-06-16	8510	8520	10	125	12.50		22.50	6	135
1-07-16 से 31-07-16	8510	8520	10	130	13.00		23.00	1	23
1-08-16 से 28-08-16	8770	8780	10	130	13.00	1	23.50	28 days	21
29-08-16 से 31-08-16	8770	9300	530	130	689.00	26.50	1245.50	3 days	121
1-09-16 से 31-12-16	8770	9300	530	130	689.00	26.50	1245.50	4	4982
1-01-17 से 31-03-17	8770	9300	530	134	710.20	26.50	1266.70	3	3800
								<b>योग</b>	<b>9861</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹9861 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(viii) श्री चौकस राम बेलदार**

श्री चौकस राम, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹9861 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री चौकस राम, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
------------------------------	--------------------------	---------

कार्य ग्रहण की तिथि 29-08-2007 पूर्वाहन

1-10-12	6130+1650=7780
1-08-13	6370+1650=8020
1-08-14	6610+1650=8260
1-08-15	6860+1650=8510
1-08-16	7120+1650=8770

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री चौकस राम, बेलदार को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	6140+1650=7790	
1-08-13	6380+1650=8030	
1-08-14	6620+1650=8270	
1-08-15	6870+1650=8520	
1-08-16	7130+1650=8780	
29-08-16	7400+1900=9300	

दिनांक 29-08-16 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1-10-12 से संशोधित ग्रेड पे प्रदान की गई थी।

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन का भुगतान करने के कारण श्री चौकस राम, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹9861 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	7780	7790	10	72	7.20		17.20	3	52
1-01-13 से 30-06-13	7780	7790	10	80	8.00		18.00	6	108
1-07-13 से 31-07-13	7780	7790	10	90	9.00		19.00	1	19
1-08-13 से 31-12-13	8020	8030	10	90	9.00		19.00	5	95
1-01-14 से 30-06-14	8020	8030	10	100	10.00		20.00	6	120
1-07-14 से 31-07-14	8020	8030	10	107	10.70		20.70	1	21
1-08-14 से 31-	8260	8270	10	107	10.70		20.70	5	104

12-14									
1-01-15 से 30-06-15	8260	8270	10	113	11.30		21.30	6	128
1-07-15 से 31-07-15	8260	8270	10	119	11.90		21.90	1	22
1-08-15 से 31-12-15	8510	8520	10	119	11.90		21.90	5	110
1-01-16 से 30-06-16	8510	8520	10	125	12.50		22.50	6	135
1-07-16 से 31-07-16	8510	8520	10	130	13.00		23.00	1	23
1-08-16 से 28-08-16	8770	8780	10	130	13.00	1	23.50	28 days	21
29-08-16 से 31-08-16	8770	9300	530	130	689.00	26.50	1245.50	3 days	121
1-09-16 से 31-12-16	8770	9300	530	130	689.00	26.50	1245.50	4	4982
1-01-17 से 31-03-17	8770	9300	530	134	710.20	26.50	1266.70	3	3800
								<b>योग</b>	<b>9861</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹9861 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ix) श्री कर्म चन्द, बेलदार**

श्री कर्म चन्द, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹5675 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री कर्म चन्द, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	6130+1650=7780	कार्य ग्रहण की तिथि 6-07-2007 पूर्वाहन
1-07-13	6370+1650=8020	
1-07-14	6610+1650=8260	
1-07-15	6860+1650=8510	
1-07-16	7120+1650=8770	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री कर्म चन्द, बेलदार को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ाव की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	6140+1650=7790	
1-07-13	6380+1650=8030	
1-07-14	6620+1650=8270	
1-07-15	6870+1650=8520	
1-07-16	7130+1650=8780	
6-07-16	7400+1900=9300	दिनांक 6-07-16 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई, जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1-10-12 से संशोधित ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया गया था।

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन का भुगतान करने के कारण श्री कर्म चन्द, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹5675 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	7780	7790	10	72	7.20		17.20	3	52
1-01-13 से 30-06-13	7780	7790	10	80	8.00		18.00	6	108
1-07-13 से 31-12-13	8020	8030	10	90	9.00		19.00	6	114
1-01-14 से 30-06-14	8020	8030	10	100	10.00		20.00	6	120
1-07-14 से 31-12-14	8260	8270	10	107	10.70		20.70	6	124
1-01-15 से 30-06-15	8260	8270	10	113	11.30		21.30	6	128
1-07-15 से 31-12-15	8510	8520	10	119	11.90		21.90	6	131
1-01-16 से 30-06-16	8510	8520	10	125	12.50		22.50	6	135
1-07-16 से 5-07-16	8770	8780	10	130	13.00		23.00	5 days	4
6-07-16 से 31-07-16	8770	9300	530	130	689.00		1219.00	26 days	1022
1-08-16 से 31-10-16	8770	9300	530	130	689.00	26.50	1245.50	3	3737
Retired on dated 31-10-2016 hence calculation of recovery is made up to 31-10-16									
								<b>योग</b>	<b>5675</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹5675 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(x) श्री गुरदियाल, बेलदार

श्री गुरदियाल, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹5675 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री गुरदियाल, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 6-07-2007 पूर्वाहन
1-10-12	6130+1650=7780	
1-07-13	6370+1650=8020	
1-07-14	6610+1650=8260	
1-07-15	6960+1650=8510	
1-07-16	7120+1650=8770	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री गुरदियाल, बेलदार का बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन आहरित किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	6140+1650=7790	
1-07-13	6380+1650=8030	
1-07-14	6620+1650=8270	
1-07-15	6870+1650=8520	
1-07-16	7130+1650=8780	
6-07-16	7400+1900=9300	दिनांक 6-07-16 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई. जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1-10-12 से संशोधित ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया गया था।

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन भुगतान करने के कारण श्री गुरदियाल, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹5675 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
------	-------------------------------------	--	-------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----	--------------------	---------

1-10-12 से 31-12-12	7780	7790	10	72	7.20		17.20	3	52
1-01-13 से 30-06-13	7780	7790	10	80	8.00		18.00	6	108
1-07-13 से 31-12-13	8020	8030	10	90	9.00		19.00	6	114
1-01-14 से 30-06-14	8020	8030	10	100	10.00		20.00	6	120
1-07-14 से 31-12-14	8260	8270	10	107	10.70		20.70	6	124
1-01-15 से 30-06-15	8260	8270	10	113	11.30		21.30	6	128
1-07-15 से 31-12-15	8510	8520	10	119	11.90		21.90	6	131
1-01-16 से 30-06-16	8510	8520	10	125	12.50		22.50	6	135
1-07-16 से 5-07-16	8770	8780	10	130	13.00		23.00	5 days	4
6-07-16 से 31-07-16	8770	9300	530	130	689.00		1219.00	26 days	1022
1-08-16 से 31-10-16	8770	9300	530	130	689.00	26.50	1245.50	3	3737
Retired on dated 31-10-2016 hence calculation of recovery is made up to 31-10-16									
								<b>योग</b>	<b>5675</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹5675 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(xi) श्री संजय कुमार, बेलदार**

श्री संजय कुमार, बेलदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 1-12-13 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹43201 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री संजय कुमार, बेलदार को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 11-12-2009 पूर्वाहन
1-12-13	5720+1650=7370	
1-12-14	5950+1650=7600	
1-12-15	6180+1650=7830	
1-12-16	6420+1650=8070	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री संजय कुमार, बेलदार को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-12-13 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-12-13	5950+1900=7850	दिनांक 1-12-13 को गलत ए०सी०पी०

		प्रदान की गई, जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1-10-12 से संशोधित ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया गया था।
1-12-14	6190+1900=8090	
1-12-15	6440+1900=8340	
1-12-16	6690+1900=8590	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री संजय कुमार, बेलदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹43201 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-12-13 से 31-12-13	7370	7850	480	90	432.00		912.00	1	912
1-01-14 से 30-06-14	7370	7850	480	100	480.00		960.00	6	5760
1-07-14 से 30-11-14	7370	7850	480	107	513.60		993.60	5	4968
1-12-14 से 31-12-14	7600	8090	490	107	524.30		1014.30	1	1014
1-01-15 से 30-06-15	7600	8090	490	113	553.70		1043.70	6	6262
1-07-15 से 30-11-15	7600	8090	490	119	583.10		1073.10	5	5366
1-12-15 से 31-12-15	7830	8340	510	119	606.90		1116.90	1	1117
1-01-16 से 30-06-16	7830	8340	510	125	637.50		1147.50	6	6885
1-07-16 से 31-07-16	7830	8340	510	130	663.00		1173.00	1	1173
1-08-16 से 30-11-16	7830	8340	510	130	663.00	25.50	1198.50	4	4794
1-12-16 से 31-12-16	8070	8590	520	130	676.00	26	1222.00	1	1222
1-01-17 से 31-03-17	8070	8590	520	134	696.80	26	1242.80	3	3728
								<b>योग</b>	<b>43201</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹43201 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या (i) से (xi) तक का कुल योग (9857+ 9508+ 11966+ 56252+ 11966+ 1434+ 9861 + 9861 + 5675 + 5675 + 43201) = 175256

(ग) नगर परिषद ऊना में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को बकाया वेतन व वेतन बिलों के रूप में ₹3.60 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान:-

(i) श्री विजय कुमार, सफाई कर्मचारी

श्री विजय कुमार, सफाई कर्मचारी के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर

अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 1-12-13 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹43201 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री विजय कुमार, सफाई कर्मचारी को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 11-12-2009 पूर्वाहन
1-12-13	5720+1650=7370	
1-12-14	5950+1650=7600	
1-12-15	6180+1650=7830	
1-12-16	6420+1650=8070	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री विजय कुमार, सफाई कर्मचारी का बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-12-13 से 31-3-17 के दौरान निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-12-13	5950+1900=7850	दिनांक 1-12-13 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई, जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी का ग्रेड पे दिनांक 1-10-12 को संशोधित हुआ है।
1-12-14	6190+1900=8090	
1-12-15	6440+1900=8340	
1-12-16	6690+1900=8590	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री विजय कुमार, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹43201 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-12-13 से 31-12-13	7370	7850	480	90	432.00		912.00	1	912
1-01-14 से 30-06-14	7370	7850	480	100	480.00		960.00	6	5760
1-07-14 से 30-11-14	7370	7850	480	107	513.60		993.60	5	4968
1-12-14 से 31-12-14	7600	8090	490	107	524.30		1014.30	1	1014
1-01-15 से 30-06-15	7600	8090	490	113	553.70		1043.70	6	6262
1-07-15 से 30-11-15	7600	8090	490	119	583.10		1073.10	5	5366
1-12-15 से 31-12-15	7830	8340	510	119	606.90		1116.90	1	1117

1-01-16 से 30-06-16	7830	8340	510	125	637.50		1147.50	6	6885
1-07-16 से 31-07-16	7830	8340	510	130	663.00		1173.00	1	1173
1-08-16 से 30-11-16	7830	8340	510	130	663.00	25.50	1198.50	4	4794
1-12-16 से 31-12-16	8070	8590	520	130	676.00	26	1222.00	1	1222
1-01-17 से 31-03-17	8070	8590	520	134	696.80	26	1242.80	3	3728
								<b>योग</b>	<b>43201</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹43201 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ii) श्री लोजी राम, सफाई कर्मचारी**

श्री लोजी राम, सफाई कर्मचारी के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे केस ठान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 1-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹45632 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री लोजी राम, सफाई कर्मचारी को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 17-04-1990 पूर्वाहन
1-10-12	10580+1900=12480	
1-04-13	10960+1900=12860	
1-04-14	11350+1900=13250	
1-04-15	11750+1900=13650	
1-04-16	12160+1900=14060	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री लोजी राम, सफाई कर्मचारी को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	10960+1900=12860	दिनांक 1-10-12 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई, जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या NO. UD -H (B) (10) -1436/12 -31502 dated 27-02-2017 के अनुसार देय नहीं थी,
1-04-13	11350+1900=13250	
1-04-14	11750+1900=13650	
1-04-15	12160+1900=14040	
1-04-16	12590+1900=14490	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री लोजी राम, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹45632 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	12480	12860	380	72	273.60		653.60	3	1961
1-01-13 से 31-03-13	12480	12860	380	80	304.00		684.00	3	2052
1-04-13 से 30-06-13	12860	13250	390	80	312.00		702.00	3	2106
1-07-13 से 31-12-13	12860	13250	390	90	351.00		741.00	6	4446
1-01-14 से 31-03-14	12860	13250	390	100	390.00		780.00	3	2340
1-04-14 से 30-06-14	13250	13650	400	100	400.00		800.00	3	2400
1-07-14 से 31-12-14	13250	13650	400	107	428.00		828.00	6	4968
1-01-15 से 31-03-15	13250	13650	400	113	452.00		852.00	3	2556
1-04-15 से 30-06-15	13650	14060	410	113	463.30		873.30	3	2620
1-07-15 से 31-12-15	13650	14060	410	119	487.90		897.90	6	5387
1-01-16 से 31-03-16	13650	14060	410	125	512.50		922.50	3	2768
1-04-16 से 30-06-16	14060	14490	430	125	537.50		967.50	3	2903
1-07-16 से 31-07-16	14060	14490	430	130	559.00		989.00	1	989
1-08-16 से 31-12-16	14060	14490	430	130	559.00	21.50	1010.50	5	5053
1-01-17 से 31-03-17	14060	14490	430	134	576.20	21.50	1027.70	3	3083
								<b>योग</b>	<b>45632</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹45632 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(iii) श्री किशोर कुमार, सफाई कर्मचारी**

श्री किशोर कुमार, सफाई कर्मचारी के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 1-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹45632 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री किशोर कुमार, सफाई कर्मचारी को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 19-04-1990 पूर्वाह्न
1-10-12	10580+1900=12480	
1-04-13	10960+1900=12860	
1-04-14	11350+1900=13250	
1-04-15	11750+1900=13650	
1-04-16	12160+1900=14060	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री किशोर कुमार, सफाई कर्मचारी को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	10960+1900=12860	दिनांक 1-10-12 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई, जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या NO. UD – H (B) (10) -1436/12 -31502 dated 27-02-2017 के अनुसार देय नहीं थी,
1-04-13	11350+1900=13250	
1-04-14	11750+1900=13650	
1-04-15	12160+1900=14040	
1-04-16	12590+1900=14490	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री किशोर कुमार, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹45632 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	12480	12860	380	72	273.60		653.60	3	1961
1-01-13 से 31-03-13	12480	12860	380	80	304.00		684.00	3	2052
1-04-13 से 30-06-13	12860	13250	390	80	312.00		702.00	3	2106
1-07-13 से 31-12-13	12860	13250	390	90	351.00		741.00	6	4446
1-01-14 से 31-03-14	12860	13250	390	100	390.00		780.00	3	2340

1-04-14 से 30-06-14	13250	13650	400	100	400.00		800.00	3	2400
1-07-14 से 31-12-14	13250	13650	400	107	428.00		828.00	6	4968
1-01-15 से 31-03-15	13250	13650	400	113	452.00		852.00	3	2556
1-04-15 से 30-06-15	13650	14060	410	113	463.30		873.30	3	2620
1-07-15 से 31-12-15	13650	14060	410	119	487.90		897.90	6	5387
1-01-16 से 31-03-16	13650	14060	410	125	512.50		922.50	3	2768
1-04-16 से 30-06-16	14060	14490	430	125	537.50		967.50	3	2903
1-07-16 से 31-07-16	14060	14490	430	130	559.00		989.00	1	989
1-08-16 से 31-12-16	14060	14490	430	130	559.00	21.50	1010.50	5	5053
1-01-17 से 31-03-17	14060	14490	430	134	576.20	21.50	1027.70	3	3083
								<b>योग</b>	<b>45632</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹45632 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(iv) श्रीमती कमला देवी, सफाई कर्मचारी**

श्रीमती कमला देवी, सफाई कर्मचारी के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 1-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹45632 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्रीमती कमला देवी, सफाई कर्मचारी को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 19-04-1990 पूर्वाहन
1-10-12	10580+1900=12480	
1-04-13	10960+1900=12860	
1-04-14	11350+1900=13250	
1-04-15	11750+1900=13650	

1-04-16	12160+1900=14060	
---------	------------------	--

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्रीमती कमला देवी, सफाई कर्मचारी का बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	10960+1900=12860	दिनांक 1-10-12 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई, जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या NO. UD -H (B) (10) -1436/12 - 31502 dated 27-02-2017 के अनुसार देय नहीं थी,
1-04-13	11350+1900=13250	
1-04-14	11750+1900=13650	
1-04-15	12160+1900=14060	
1-04-16	12590+1900=14490	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन का भुगतान करने के कारण श्रीमती कमला देवी, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹45632 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	12480	12860	380	72	273.60		653.60	3	1961
1-01-13 से 31-03-13	12480	12860	380	80	304.00		684.00	3	2052
1-04-13 से 30-06-13	12860	13250	390	80	312.00		702.00	3	2106
1-07-13 से 31-12-13	12860	13250	390	90	351.00		741.00	6	4446
1-01-14 से 31-03-14	12860	13250	390	100	390.00		780.00	3	2340
1-04-14 से 30-06-14	13250	13650	400	100	400.00		800.00	3	2400
1-07-14 से 31-12-14	13250	13650	400	107	428.00		828.00	6	4968
1-01-15 से 31-03-15	13250	13650	400	113	452.00		852.00	3	2556
1-04-15 से 30-06-15	13650	14060	410	113	463.30		873.30	3	2620
1-07-15 से 31-12-15	13650	14060	410	119	487.90		897.90	6	5387
1-01-16 से 31-03-16	13650	14060	410	125	512.50		922.50	3	2768

1-04-16 से 30-06-16	14060	14490	430	125	537.50		967.50	3	2903
1-07-16 से 31-07-16	14060	14490	430	130	559.00		989.00	1	989
1-08-16 से 31-12-16	14060	14490	430	130	559.00	21.50	1010.50	5	5053
1-01-17 से 31-03-17	14060	14490	430	134	576.20	21.50	1027.70	3	3083
								<b>योग</b>	<b>45632</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹45632 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(v) श्री सुरेंद्र कुमार, सफाई कर्मचारी

श्री सुरेंद्र कुमार, सफाई कर्मचारी के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 1-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹46328 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री सुरेंद्र कुमार, सफाई कर्मचारी को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 19-04-1990 पूर्वाहन
1-10-12	10580+1900=12480	
1-07-13	10960+1900=12860	
1-07-14	11350+1900=13250	
1-07-15	11750+1900=13650	
1-07-16	12160+1900=14060	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री सुरेंद्र कुमार, सफाई कर्मचारी का बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	10960+1900=12860	दिनांक 1-10-12 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई, जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या NO. UD -H (B) (10) -1436/12 -31502 dated 27-02-2017 के अनुसार देय नहीं थी,
1-07-13	11350+1900=13250	
1-07-14	11750+1900=13650	

1-07-15	12160+1900=14040	
1-07-16	12590+1900=14490	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन का भुगतान करने के कारण श्री सुरेंद्र कुमार, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹46328 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	12480	12860	380	72	273.60		653.60	3	1961
1-01-13 से 30-06-13	12480	12860	380	80	304.00		684.00	6	4104
1-07-13 से 31-12-13	12860	13250	390	90	351.00		741.00	6	4446
1-01-14 से 30-06-14	12860	13250	390	100	390.00		780.00	6	4680
1-07-14 से 31-12-14	13250	13650	400	107	428.00		828.00	6	4968
1-01-15 से 30-06-15	13250	13650	400	113	452.00		852.00	6	5112
1-07-15 से 31-12-15	13650	14060	410	119	487.90		897.90	6	5387
1-01-16 से 30-06-16	13650	14060	410	125	512.50		922.50	6	5535
1-07-16 से 31-07-16	14060	14490	430	130	559.00		989.00	1	989
1-08-16 से 31-12-16	14060	14490	430	130	559.00	21.50	1010.50	6	6063
1-01-17 से 31-03-17	14060	14490	430	134	576.20	21.50	1027.70	3	3083
								<b>योग</b>	<b>46328</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹46328 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(vi) श्री टिक्का राम, सफाई कर्मचारी**

श्री टिक्का राम, सफाई कर्मचारी के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 1-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹45889 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री टिक्का राम, सफाई कर्मचारी को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन	देय वेतन	टिप्पणी
--------------	----------	---------

बढ़ौतरी की तिथि	(पे + ग्रेड पे)	
		कार्य ग्रहण की तिथि 1-01-1990 पूर्वाहन
1-10-12	10580+1900=12480	
1-02-13	10960+1900=12860	
1-02-14	11350+1900=13250	
1-02-15	11750+1900=13650	
1-02-16	12160+1900=14060	
1-02-17	12590+1900=14490	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे केस ठान पर श्री टिक्का राम, सफाई कर्मचारी का बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	10960+1900=12860	दिनांक 1-10-12 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई, जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या NO. UD -H (B) (10) -1436/12 - 31502 dated 27-02-2017 के अनुसार देय नहीं थी,
1-02-13	11350+1900=13250	
1-02-14	11750+1900=13650	
1-02-15	12160+1900=14060	
1-02-16	12590+1900=14490	
1-02-17	13030+1900=14930	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री टिक्का राम, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹45889 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	12480	12860	380	72	273.60		653.60	3	1961
1-01-13 से 31-01-13	12480	12860	380	80	304.00		684.00	1	684
1-02-13 से 30-06-13	12860	13250	390	80	312.00		702.00	5	3510
1-07-13 से 31-12-13	12860	13250	390	90	351.00		741.00	6	4446
1-01-14 से 31-01-14	12860	13250	390	100	390.00		780.00	1	780
1-02-14 से 30-06-14	13250	13650	400	100	400.00		800.00	5	4000

1-07-14 से 31-12-14	13250	13650	400	107	428.00		828.00	6	4968
1-01-15 से 31-01-15	13250	13650	400	113	452.00		852.00	1	852
1-02-15 से 30-06-15	13650	14060	410	113	463.30		873.30	5	4367
1-07-15 से 31-12-15	13650	14060	410	119	487.90		897.90	6	5387
1-01-16 से 31-01-16	13650	14060	410	125	512.50		922.50	1	923
1-02-16 से 30-06-16	14060	14490	430	125	537.50		967.50	5	4838
1-07-16 से 31-07-16	14060	14490	430	130	559.00		989.00	1	989
1-08-16 से 31-12-16	14060	14490	430	130	559.00	21.50	1010.50	5	5053
1-01-17 से 31-01-17	14060	14490	430	134	576.20	21.50	1027.70	1	1028
1-02-17 से 31-03-17	14490	14930	440	134	589.60	22.00	1051.60	2	2103
								<b>योग</b>	<b>45889</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹45889 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(vii) श्री मंगत राम, सफाई कर्मचारी**

श्री मंगत राम, सफाई कर्मचारी के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 1-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹46016 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री मंगत राम, सफाई कर्मचारी को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 1-01-1990 पूर्वाहन
1-10-12	10580+1900=12480	
1-01-13	10960+1900=12860	
1-01-14	11350+1900=13250	
1-01-15	12160+1900=13650	
1-01-16	12160+1900=14060	
1-01-17	12590+1900=14490	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री मंगत राम, सफाई कर्मचारी को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	10960+1900=12860	दिनांक 1-10-12 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई, जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या NO. UD -H (B) (10) -1436/12 -31502 dated 27-02-2017 के अनुसार देय नहीं थी,
1-01-13	11350+1900=13250	
1-01-14	1750+1900=13650	
1-01-15	12160+1900=14060	
1-01-16	12590+1900=14490	
1-01-17	13030+1900=14930	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन का भुगतान करने के कारण श्री मंगत राम, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹46016 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	12480	12860	380	72	273.60		653.60	3	1961
1-01-13 से 30-06-13	12860	13250	390	80	312.00		702.00	6	4212
1-07-13 से 31-12-13	12860	13250	390	90	351.00		741.00	6	4446
1-01-14 से 30-06-14	13250	13650	400	100	400.00		800.00	6	4800
1-07-14 से 31-12-14	13250	13650	400	107	428.00		828.00	6	4968
1-01-15 से 30-06-15	13650	14060	410	113	463.30		873.30	6	5240
1-07-15 से 31-12-15	13650	14060	410	119	487.90		897.90	6	5387
1-01-16 से 30-06-16	14060	14490	430	125	537.50		967.50	6	5805
1-07-16 से 31-07-16	14060	14490	430	130	559.00		989.00	1	989
1-08-16 से 31-12-16	14060	14490	430	130	559.00	21.50	1010.50	5	5053
1-01-17 से 31-03-17	14490	14930	440	134	589.60	22.00	1051.60	3	3155
								<b>योग</b>	<b>46016</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹46016 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(viii) श्री कैवल चन्द, सफाई कर्मचारी

श्री कैवल चन्द, सफाई कर्मचारी के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 1-10-12 से 12-12-16 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹41711 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री कैवल चन्द, सफाई कर्मचारी को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 23-04-1990 पूर्वाहन
1-10-12	10580+1900=12480	
17-06-13	10960+1900=12860	
1-06-14	11350+1900=13250	
1-06-15	11750+1900=13650	
1-06-16	12160+1900=14060	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री कैवल चन्द, सफाई कर्मचारी को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 12-12-16 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	12860	दिनांक 1-10-12 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई, जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या NO. UD -H (B) (10) -1436/12 -31502 dated 27-02-2017 के अनुसार देय नहीं थी,
17-06-13	13250	
1-06-14	13650	
1-06-15	14040	
1-06-16	14490	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन भुगतान करने के कारण श्री कैवल चन्द, सफाई कर्मचारी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹41711 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	12480	12860	380	72	273.60		653.60	3	1961
1-01-13 से 31-05-13	12480	12860	380	80	304.00		684.00	5	3420
1-06-13 से 16-06-13	12480	12860	380	80	304.00		684.00	16 days	365
17-06-13 से 30-06-13	12860	13250	390	80	312.00		702.00	14 days	328

1-07-13 से 31-12-13	12860	13250	390	90	351.00		741.00	6	4446
1-01-14 से 31-05-14	12860	13250	390	100	390.00		780.00	5	3900
1-06-14 से 30-06-14	13250	13650	400	100	400.00		800.00	1	800
1-07-14 से 31-12-14	13250	13650	400	107	428.00		828.00	6	4968
1-01-15 से 31-05-15	13250	13650	400	113	452.00		852.00	5	4260
1-06-15 से 30-06-15	13650	14060	410	113	463.30		873.30	1	873
1-07-15 से 31-12-15	13650	14060	410	119	487.90		897.90	6	5387
1-01-16 से 31-05-16	13650	14060	410	125	512.50		922.50	5	4613
1-06-16 से 30-06-16	14060	14490	430	125	537.50		967.50	1	968
1-07-16 से 31-07-16	14060	14490	430	130	559.00		989.00	1	989
1-08-16 से 30-11-16	14060	14490	430	130	559.00	21.50	1010.50	4	4042
1-12-16 से 12-12-16	14060	14490	430	130	559.00	21.50	1010.50	12 days	391
Expired on dated 13-12-2016 hence calculation of recovery is made up to 12-12-16									
								<b>योग</b>	<b>41711</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹41711 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या (i) से (viii) तक का कुल योग (43201 + 45632 + 45632 + 45632 + 46328 + 45889 + 46016 + 41711) = 360041

(घ) नगर परिषद ऊना में कार्यरत चपरासी व चौकीदार कर्मचारियों को बकाया वेतन व वेतन बिलों के रूप में ₹121704 का अधिक एवं गलत भुगतान:-

(i) श्री सोम नाथ, चपरासी

श्री सोम नाथ, चपरासी के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹46146 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री सोम नाथ, चपरासी को नियमानुसार तथा निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 1-08-1988 पूर्वाहन
1-10-12	10830+1900=12730	
1-08-13	11220+1900=13120	
1-08-14	11620+1900=13520	

1-08-15	12030+1900=13930	
1-08-16	12450+1900=14350	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री सोम नाथ, चपरासी को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	11220+1900=13120	दिनांक 1-10-12 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई, जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या NO. UD -H (B) (10) -1436/12 -31502 dated 27-02-2017 के अनुसार देय नहीं थी,
1-08-13	11620+1900=13520	
1-08-14	12030+1900=13930	
1-08-15	12450+1900=14350	
1-08-16	12880+1900=14780	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन भुगतान करने के कारण श्री सोम नाथ, चपरासी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹46146 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	12730	13120	390	72	280.80		670.80	3	2012
1-01-13 से 30-06-13	12730	13120	390	80	312.00		702.00	6	4212
1-07-13 से 31-07-13	12730	13120	390	90	351.00		741.00	1	741
1-08-13 से 31-12-13	13120	13520	400	90	360.00		760.00	5	3800
1-01-14 से 30-06-14	13120	13520	400	100	400.00		800.00	6	4800
1-07-14 से 31-07-14	13120	13520	400	107	428.00		828.00	1	828
1-08-14 से 31-12-14	13520	13930	410	107	438.70		848.70	5	4244
1-01-15 से 30-06-15	13520	13930	410	113	463.30		873.30	6	5240
1-07-15 से 31-07-15	13520	13930	410	119	487.90		897.90	1	898
1-08-15 से 31-12-15	13930	14350	420	119	499.80		919.80	5	4599
1-01-16 से 30-06-16	13930	14350	420	125	525.00		945.00	6	5670
1-07-16 से	13930	14350	420	130	546.00		966.00	1	966

31-07-16									
1-08-16 से 31-12-16	14350	14780	430	130	559.00	22	1010.50	5	5053
1-01-17 से 31-03-17	14350	14780	430	134	576.20	22	1027.70	3	3083
								<b>योग</b>	<b>46146</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹46146 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ii) श्रीमती राज रानी, चपरासी**

श्रीमती राज रानी, चपरासी के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 28-04-14 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹29687 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्रीमती राज रानी, चपरासी को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 28-04-1994 पूर्वाहन
28-04-14	10420+1900=12320	
1-04-15	10790+1900=12690	
1-04-16	11170+1900=13070	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्रीमती राज रानी, चपरासी को बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 28-04-14 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
28-04-14	10790+1900=12690	दिनांक 1-10-12 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई, जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या NO. UD -H (B) (10) -1436/12 - 31502 dated 27-02-2017 के अनुसार देय नहीं थी,
1-04-15	11170+1900=13070	
1-04-16	11570+1900=13470	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्रीमती राज रानी, चपरासी को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹29687 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @ %	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-	योग	मासों की संख्या	कुल योग

	पे)	पे)				16)			
28-04-14 से 30-04-14	12320	12690	370	100	370.00		740.00	3 days	74
1-05-14 से 30-06-14	12320	12690	370	100	370.00		740.00	2	1480
1-07-14 से 31-12-14	12320	12690	370	107	395.90		765.90	6	4595
1-01-15 से 31-03-15	12320	12690	370	113	418.10		788.10	3	2364
1-04-15 से 30-06-15	12690	13070	380	113	429.40		809.40	3	2428
1-07-15 से 31-12-15	12690	13070	380	119	452.20		832.20	6	4993
1-01-16 से 31-03-16	12690	13070	380	125	475.00		855.00	3	2565
1-04-16 से 30-06-16	13070	13470	400	125	500.00		900.00	3	2700
1-07-16 से 31-07-16	13070	13470	400	130	520.00		920.00	1	920
1-08-16 से 31-12-16	13070	13470	400	130	520.00	20	940.00	5	4700
1-01-17 से 31-03-17	13070	13470	400	134	536.00	20	956.00	3	2868
								<b>योग</b>	<b>29687</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹29687 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**iii) श्री जगदेव सिंह, चौकीदार**

श्री जगदेव सिंह, चौकीदार के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-10-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹45871 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री जगदेव सिंह, चौकीदार को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 1-03-1990 पूर्वाहन
1-10-12	10590+1900=12490	
1-03-13	10970+1900=12870	
1-03-14	11360+1900=13260	

1-03-15	11760+1900=13660	
1-03-16	12170+1900=14070	
1-03-17	12600+1900=14500	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री जगदेव सिंह, चौकीदार का बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-10-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	10970+1900=12870	दिनांक 1-10-12 को 20 वर्ष उपरांत गलत वार्षिक बढ़ौतरी प्रदान की गई। जो कि निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या NO. UD -H (B) (10) -1436/12 -31502 dated 27-02-2017 के अनुसार देय नहीं थी,
1-03-13	11360+1900=13260	
1-03-14	11760+1900=13660	
1-03-15	12170+1900=14070	
1-03-16	12600+1900=14500	
1-03-17	13040+1900=14940	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन भुगतान करने के कारण श्री जगदेव सिंह, चौकीदार को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹45871 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-10-12 से 31-12-12	12490	12870	380	72	273.60		653.60	3	1961
1-01-13 से 28-02-13	12490	12870	380	80	304.00		684.00	2	1368
1-03-13 से 30-06-13	12870	13260	390	80	312.00		702.00	4	2808
1-07-13 से 31-12-13	12870	13260	390	90	351.00		741.00	6	4446
1-01-14 से 28-02-14	12870	13260	390	100	390.00		780.00	2	1560
1-03-14 से 30-06-14	13260	13660	400	107	428.00		828.00	4	3312
1-07-14 से 31-12-14	13260	13660	400	107	428.00		828.00	6	4968
1-01-15 से 28-02-15	13260	13660	400	113	452.00		852.00	2	1704
1-03-15 से 30-06-15	13660	14070	410	113	463.30		873.30	4	3493
1-07-15 से	13660	14070	410	119	487.90		897.90	6	5387

31-12-15									
1-01-16 से 29-02-16	13660	14070	410	125	512.50		922.50	2	1845
1-03-16 से 30-06-16	14070	14500	430	125	537.50		967.50	4	3870
1-07-16 से 31-07-16	14070	14500	430	130	559.00		989.00	1	989
1-08-16 से 31-12-16	14070	14500	430	130	559.00	22	1010.50	5	5053
1-01-17 से 28-02-17	14070	14500	430	134	576.20	22	1027.70	2	2055
1-03-17 से 31-03-17	14500	14940	440	134	589.60	22	1051.60	1	1052
								<b>योग</b>	<b>45871</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹45871 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**क्रम संख्या (i) से (iii) तक का कुल योग (46146+29687+45871) = 121704**

(ड.) नगर परिषद ऊना में कार्यरत ड्राईवर कर्मचारियों को बकाया वेतन व वेतन बिलों के रूप में ₹ 1.07 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान:-

(i) श्री शादी लाल, ड्राईवर

श्री शादी लाल, ड्राईवर के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-11-12 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹83949 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री शादी लाल, ड्राईवर को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 18-11-2008 पूर्वाह्न
1-10-12	7020+2400=9420	
1-11-12	7310+2400=9710	
1-11-13	7610+2400=10010	
1-11-14	7910+2400=10310	
1-11-15	8220+2400=10620	
1-11-16	8540+2400=10940	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे की जगह श्री शादी लाल, ड्राईवर का बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-11-12 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-10-12	7020+2400=9420	

1-11-12	7620+2800=10420	दिनांक 1-11-12 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई, जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी का ग्रेड पे दिनांक 1-10-12 को संशोधित हुआ है।
1-11-13	7940+2800=10740	
1-11-14	8270+2800=11070	
1-11-15	8610+2800=11410	
1-11-16	8960+2800=11760	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन की जगह अधिक वेतन भुगतान करने के कारण श्री शादी लाल, ड्राइवर को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹83949 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-11-12 से 31-12-12	9710	10420	710	72	511.20		1221.20	2	2442
1-01-13 से 30-06-13	9710	10420	710	80	568.00		1278.00	6	7668
1-07-13 से 31-10-13	9710	10420	710	90	639.00		1349.00	4	5396
1-11-13 से 31-12-13	10010	10740	730	90	657.00		1387.00	2	2774
1-01-14 से 30-06-14	10010	10740	730	100	730.00		1460.00	4	5840
1-07-14 से 31-10-14	10010	10740	730	107	781.10		1511.10	6	9067
1-11-14 से 31-12-14	10310	11070	760	107	813.20		1573.20	2	3146
1-01-15 से 30-06-15	10310	11070	760	113	858.80		1618.80	6	9713
1-07-15 से 31-10-15	10310	11070	760	119	904.40		1664.40	4	6658
1-11-15 से 31-12-15	10620	11410	790	119	940.10		1730.10	2	3460
1-01-16 से 30-06-16	10620	11410	790	125	987.50		1777.50	6	10665
1-07-16 से 31-07-16	10620	11410	790	130	1027.00		1817.00	1	1817

1-08-16 से 31-10-16	10620	11410	790	130	1027.00	39.50	1856.50	3	5570
1-11-16 से 31-12-16	10940	11760	820	130	1066.00	41.00	1927.00	2	3854
1-01-17 से 31-03-17	10940	11760	820	134	1098.80	41.00	1959.80	3	5879
								<b>योग</b>	<b>83949</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹83949 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**(ii) श्री जोगिन्दर पाल, ड्राईवर**

श्री जोगिन्दर पाल, ड्राईवर के ए सी पी (4-9-14) के बकाया वेतन व वेतन बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को नियमानुसार देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक एवं गलत पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01-02-16 से 31-03-17 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹23150 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है।

श्री जोगिन्दर पाल, ड्राईवर को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
		कार्य ग्रहण की तिथि 15-02-2012 पूर्वाहन
1-02-15	7030+2400=9430	
1-02-16	7320+2400=9720	
1-02-17	7620+2400=10020	

उपरोक्त नियमानुसार देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री जोगिन्दर पाल, ड्राईवर का बकाया वेतन बिल व वेतन बिलों के रूप अवधि 1-02-16 से 31-3-17 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया है।

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (पे + ग्रेड पे)	टिप्पणी
1-02-15	7030+2400=9430	
1-02-16	7630+2800=10430	दिनांक 1-02-16 को गलत ए०सी०पी० प्रदान की गई, जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी का ग्रेड पे दिनांक 15-02-14 को संशोधित हुआ है।
1-02-17	7950+2800=10750	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप में देय वेतन के स्थान पर अधिक वेतन भुगतान करने के कारण श्री जोगिन्दर पाल, ड्राइवर को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹23150 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

अवधि	देय भुगतान (पे + ग्रेड पे)	दिया गया भुगतान (पे + ग्रेड पे)	अन्तर	महंगाई भत्ते की दर @%	महंगाई भत्ते की राशि	आई आर @ 5% (1-08-16)	योग	मासों की संख्या	कुल योग
1-02-16 से 30-06-16	9720	10430	710	125	887.50		1597.50	5	7988
1-07-16 से 31-07-16	9720	10430	710	130	923.00		1633.00	1	1633
1-08-16 से 31-12-16	9720	10430	710	130	923.00	35.50	1668.50	5	8343
1-01-17 से 31-01-17	9720	10430	710	134	951.40	35.50	1696.90	1	1697
1-02-17 से 31-03-17	10020	10750	730	134	978.20	36.50	1744.70	2	3489
								<b>योग</b>	<b>23150</b>

अतः उपरोक्त उल्लेखित ₹23150 के अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित उतरदायी कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**क्रम संख्या (i) व (ii) तक का कुल योग (83949+23150) = 107099**

**क्रम संख्या (क) से (ड.) तक का कुल योग (29556 + 175256 + 360041 + 121704 + 107099 = ₹793656**

उक्त गलत वेतन निर्धारण करने के कारण बकाया वेतन व वेतन बिलों के रूप किए गए अधिक एवं गलत भुगतान ₹793656 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 234 दिनांक 9-10-2017 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के ध्यानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः उक्त कर्मचारियों को गलत वेतन निर्धारण करने के कारण बकाया वेतन व वेतन बिलों के रूप में किए गए अधिक एवं गलत भुगतान को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त अधिक एवं गलत भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**23 सफाई का ठेका आबंटित करने से पूर्व चतुर्थ न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से समझौता वार्ता न करने के कारण नगर परिषद को हुई ₹8.15 लाख की वित्तीय हानि**

सफाई का ठेका देने से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1-06-16 से 31-03-17 से सफाई का ठेका हेतु सबसे न्यूनतम दर सनराइज फैसिलिटेटर फर्म द्वारा प्रति माह ₹247579, दूसरी न्यूनतम दर आर० बी० वर्ल्ड शिमला द्वारा प्रति माह ₹267000, तीसरी न्यूनतम दर हरि केयर काँगड़ा द्वारा प्रति माह ₹299000 व चौथी न्यूनतम दर

मैसर्ज चेतिन्या इंटरप्राइजेज द्वारा प्रति माह ₹329000 भरी थी। पहली, दूसरी व तीसरी न्यूनतम दर भरने वाली फर्मों द्वारा सफाई का ठेका लेने हेतु असमर्थता जताई व ऐसी अवस्था में सफाई के ठेके हेतु पुनः टेंडर आमंत्रित करके सफाई का ठेका दिया जाना अपेक्षित था, लेकिन नगर परिषद द्वारा चौथी न्यूनतम दर भरने वाली फर्म मैसर्ज चेतिन्या इंटरप्राइजेज को प्रति माह ₹329000 में सफाई का ठेका आबंटित कर दिया गया व उक्त फर्म से समझौता वार्ता नहीं की गई। यदि नगर परिषद द्वारा टेंडर पुनः आमंत्रित नहीं किए तब सबसे न्यूनतम दर भरने वाली फर्म की दरों तक समझौता वार्ता करके सफाई का ठेका आबंटित किया जाना अपेक्षित था। फलस्वरूप चौथी न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से समझौता वार्ता न करने के कारण नगर परिषद को उक्त सफाई का ठेका देने के कारण प्रति माह ₹81481 (329000-247579) व अवधि 1-06-16 से 31-03-17 तक 10 माह हेतु ₹814810 (81481 x 10) की वित्तीय हानि हुई है। चौथी न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से समझौता वार्ता न करने के कारण नगर परिषद को हुई हानि ₹814810 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 242 दिनांक 26-10-17 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के ध्यानानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुत्तर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः चौथी न्यूनतम दर भरने वाली फर्म मैसर्ज चेतिन्या इंटरप्राइजेज से समझौता वार्ता न करके ठेका आबंटित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सफाई का ठेका देने से पूर्व ठेका आबंटित करने वाली फर्म से समझौता वार्ता न करने के कारण नगर परिषद को अवधि 1-06-16 से 31-03-17 तक 10 माह हुई वित्तीय हानि ₹814810 का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/ कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**24 अवधि 1-04-15 से 31-03-16 तक खाली स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को ₹11.54 लाख की वित्तीय हानि**

सफाई का ठेका देने से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1-12-14 से 30-11-15 सफाई के ठेके हेतु 22 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने हेतु रीता, ठेकेदार को प्रति माह ₹144500/=का ठेका आबंटित किया गया व अवधि 1-12-15 से 31-03-16 तक का ठेका भी बिना टेंडर आमंत्रित किए पुरानी दरों पर ही रीता, ठेकेदार को आबंटित किया गया। लोडिंग एंड अन-लोडिंग के कार्य हेतु 8 कर्मचारी ठेके पर लेने का कार्य शिव गौर, ठेकेदार को अवधि 1-12-14 से 30-11-15 तक प्रति माह ₹61500/= में आबंटित किया व अवधि 1-12-15 से 31-03-16 तक का ठेका भी बिना टेंडर आमंत्रित किए पुरानी दरों पर ही शिव गौर, ठेकेदार को आबंटित किया गया। सफाई के कार्य हेतु 30 (22+8) सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद द्वारा अवधि 1-04-15 से 31-03-16 में प्रतिमाह कुल ₹206000/= (144500+61500) का व्यय किया गया। नगर परिषद ऊना में सफाई कर्मचारियों के 24 पद स्वीकृत है व 8 पद भरे हुए हैं केवल 16 सफाई कर्मचारियों के पद खाली हैं। सफाई के कार्य हेतु केवल 16 सफाई कर्मचारी ही ठेके पर लिए जाने अपेक्षित थे। जबकि सफाई के कार्य हेतु 30 कर्मचारी ठेके पर लिए गए हैं। फलस्वरूप 14 अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को प्रतिमाह ₹96133 (206000 x 14 / 30) व अवधि 1-04-15 से 31-03-16 तक 12 माह हेतु ₹1153596 (96133 x 12) की वित्तीय हानि हुई है। 16 सफाई कर्मचारियों के खाली पदों के विरुद्ध 30 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण 14 अधिक सफाई कर्मचारियों पर सफाई का ठेका देने से नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि ₹1153596 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 244 दिनांक 26-10-17 के

माध्यम से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के ध्यानानार्थ लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का को भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को नहीं दिया गया। अतः 16 सफाई कर्मचारियों के खाली पदों के विरुद्ध 30 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व 16 सफाई कर्मचारियों के खाली पदों के विरुद्ध 30 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को प्रतिमाह ₹96133 (206000 x 14 / 30) व अवधि 1-04-15 से 31-03-16 तक 12 माह हेतु ₹1153596 (96133 x 12) की नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि का उत्तरदायित्व निर्धारण करने उपरान्त उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है। कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**25 अवधि 1-06-16 से 31-03-17 तक खाली स्वीकृत पदों के विरुद्ध अधिक सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद को ₹27.12 लाख की वित्तीय हानि**

सफाई का ठेका देने से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 1-06-16 से 31-03-17 तक का सफाई का ठेका मैसर्स चैतन्या इंटरप्राइजेज को 42 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने हेतु प्रति माह ₹329000/= व लोडिंग व अन-लोडिंग का ठेका रीता ठेकदार ऊना को 8 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने हेतु प्रति माह ₹69800/= में आबंटित किया गया। सफाई के कार्य हेतु 50 (42+8) सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण नगर परिषद द्वारा प्रतिमाह कुल ₹398800/= (329000+69800) का व्यय किया गया। नगर परिषद ऊना में सफाई कर्मचारियों के 24 पद स्वीकृत हैं व 8 पद भरे हुए हैं केवल 16 सफाई कर्मचारियों के पद खाली हैं। सफाई के कार्य हेतु केवल 16 सफाई कर्मचारी ही ठेके पर लिए जाने अपेक्षित थे। जबकि सफाई के कार्य हेतु 50 सफाई कर्मचारी ठेके पर लिए गए हैं यहाँ यह भी उल्लेखित करना नितान्त आवश्यक है, नगर परिषद के 11 वार्ड हैं व नगर परिषद के सीमा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, गत वर्ष में भी अवधि 1-01-14 से 31-03-16 तक नगर परिषद द्वारा सफाई के कार्य हेतु 22 कर्मचारी व लोडिंग एवं अन-लोडिंग के कार्य हेतु 8 कुल 30 सफाई कर्मचारी ही ठेके पर लिए गए थे। फलस्वरूप 16 सफाई कर्मचारियों के खाली पदों के विरुद्ध 50 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण 34 अधिक सफाई कर्मचारियों पर सफाई का ठेका देने से नगर परिषद को प्रतिमाह ₹271184 /=( 398800 x 34 / 50) व अवधि 1-06-16 से 31-03-17 तक 10 माह हेतु ₹2711840 /=( 271184 x 10 ) की वित्तीय हानि हुई है। 16 सफाई कर्मचारियों के खाली पदों के विरुद्ध 50 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण 34 अधिक सफाई कर्मचारियों पर सफाई का ठेका देने से नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि ₹2711840 का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24 4 दिनांक 26-10-17 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के ध्यानानार्थ लाया गया। जिसके प्रतियुतर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना के पत्र संख्या: एम सी यू/ audit/ 2107-2637 दिनांक 2-11-17 द्वारा स्पष्ट किया कि नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के जो स्वीकृत पद हैं वह बहुत पहले के हैं जबकि शहर की आवादी बहुत अधिक हो गई है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि गत वर्षों में नगर परिषद के सीमा क्षेत्र में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है अतः 16 सफाई कर्मचारियों के खाली पदों के विरुद्ध 50 सफाई कर्मचारी व गत वर्ष की तुलना में 20 सफाई कर्मचारी अधिक ठेके पर लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व 16 सफाई कर्मचारियों के खाली पदों के विरुद्ध 50 सफाई कर्मचारी ठेके पर लेने के कारण 34 अधिक सफाई कर्मचारियों पर सफाई का ठेका आबंटित करने से नगर परिषद को प्रतिमाह ₹271184 (398800 x 34 / 50) व अवधि 1-06-16 से 31-03-17 तक 10 माह हेतु ₹2711840 (271184 x 10 ) की नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये। उपरोक्त के

अतिरिक्त प्रदेश सरकार से भी अतिरिक्त सफाई कर्मचारी तैनात करने हेतु कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**26 टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग शुल्क की ₹111.00 लाख को राजकोष में जमा न करवाना**

टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पी० बी० डब्ल्यू (बी एंड आर) (बी)24(1) 91-1, दिनांक 31-07-1997 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद उना को हिमाचल प्रदेश टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1997 की धारा 30, 30 (ए), 31, 34, 38, 39(बी) तथा 81 में प्रदत्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: हिम/टी० पी०/पी०पी०/पी० Reg.) delegation of powers-खण्ड-iv-7447-60, दिनांक 27-11-2000 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग नियम 1978 के नियम 12(2) के अनुसार एकत्रित शुल्क चालान के द्वारा राजकोष में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद उना को अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 235 दिनांक 10-10-2017 के द्वारा दिनांक 31-03-2017 तक एकत्रित शुल्क का विवरण उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके प्रतियुतर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद उना के पत्र संख्या: एम सी यू / audit/ 2107-2635 दिनांक 2-11-17 द्वारा स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान क्रमशः 929174.78, 1524657.88 व दिनांक 31-03-2017 तक ₹11100286.25 टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग शुल्क राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु शेष थी। जबकि उक्त टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग शुल्क की एकत्रित की गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवा कर अलग से निम्नलिखित खातों में जमा किया गया था।

क्रम संख्या	जमा राशि का विवरण	जमा की गई राशि
i)	सिंडिकेट बैंक उना के सावधि खाता संख्या 597939, अवधि 18-06-2016 से 18-06-2017 में जमा राशि	6326046.15
ii)	सिंडिकेट बैंक उना के बचत खाता संख्या 89032210000050 में जमा राशि	61139.10
iii)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (उना) के बचत खाता संख्या 1420108975 में जमा राशि	4713101
<b>योग</b>		<b>11100286.25</b>

अतः नगर परिषद उना द्वारा हिमाचल प्रदेश टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1978 के नियम 12(2) के अनुसार एकत्रित शुल्क को नियमानुसार राजकोष में जमा न करवाकर नगर परिषद उना के खाते में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए उक्त गत वर्षों में टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग शुल्क की एकत्रित की गई ₹11100286.25 को चालान द्वारा शीघ्र राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**27 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.11 लाख को राजकोष में जमा न करवाना**

हिमाचल प्रदेश सरकार Social Justice and Empowerment Department की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)1/97, दिनांक 17.12.2004 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को चालान द्वारा राजकोष में जमा करवाया जाना था। नगर परिषद उना द्वारा दिनांक 31-03-2017 तक विवाह पंजीकरण शुल्क की ₹11310 वसूल की गई थी जिसे नगर परिषद द्वारा नियमानुसार सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था। अतः एकत्रित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को अविलम्ब राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 28 शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियों तैयार न करना

जांच के दौरान पाया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आय ₹57610936.99, 65192148.10 व व्यय ₹43456018.16, 51465380.22 किया गया दर्शाया है। लेकिन आय व व्यय की मदवार खाताबहियां तैयार नहीं की गई थी शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने के कारण यह पुष्टि नहीं की जा सकती, कि वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितनी आय प्राप्त की गई दर्शाई गई वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अन्तर्गत जितना व्यय दर्शाया गया है वास्तव में उस शीर्ष के अन्तर्गत उतना ही व्यय किया गया है। अतः शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियां तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियाँ तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

## 29 अन्य

(i) गणना में त्रुटि के कारण श्री सुरेश कुमार, संविदाकार को ₹519 का अधिक एवं गलत भुगतान कार्य का नाम :- c/o Gosadan at Samoor Kalan for Municipal Council Una (SH:- Cow shed Internal work and Campus Flooring etc.)

संविदाकार का नाम :- श्री सुरेश कुमार

अवार्ड पत्र संख्या :- MCU/Award Letter/2016-1377 दिनांक 13-04-16

कार्य समाप्ति की तिथि:- 2-11-16

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या :- 111 व पृष्ठ 25

क्रम सं०	मद संख्या	मद का नाम	वास्तविक मात्रा	दर्शाई गई मात्रा	अन्तर	दर	अधिक भुगतान
1	10(i)	Steel work welded in built up section etc. in grating, guards, bass, brackets and similar work MS square bars 10mm	2x7 @ 0.78 =10.92 KG	12.55 KG	1.63 KG	6800 Per/Qtl	110.84
2	10(ii)	ISLC 75mm cover channel for sides	2x2x2x1.10 @ 5.70 kg = 50.16 KG	56.16 kg	6 kg	6800 Per/Qtl	408
योग							518.84

उपरोक्त उल्लेखित कार्य की जांच करने पर पाया गया कि गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार श्री सुरेश कुमार, संविदाकार को ₹519 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा अधिक भुगतान करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) ₹4079 के क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज न होना :-

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 7/16 के दौरान निम्न विवरणानुसार क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज नहीं हैं

क्र०सं०	वाऊचर सं०/दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	113/2-07-16	भारद्वाज प्लास्टिक स्टोर नियर सब्जी मंडी ऊना	तरपाल	1	1000	1000
				वैट	5%	50

					<b>योग</b>	<b>1050</b>
2	114/ 2-07-16	रामा बुक डिपो जीवन मार्किट ऊना	फाईल्स	15	15	<b>225</b>
3	115/ 2-07-16	हिम इंस्ट्रूमेंट एंड कमिकल्स, ऊना रोड मैहतपुर	डिस्प्ले बोर्ड 3 x 2	1	1470	1470
			वहाईट बोर्ड 3 x 2	1	1200	1200
				वैट	5%	133.50
					योग	2803.5
					भुगतान	<b>2804</b>
<b>क्रम संख्या 1 से 3 तक का कुल योग (1050+225+2804) =</b>						<b>4079</b>

उपरोक्त उल्लेखित क्रय किए गए सामान की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्राप्ति की प्रविष्टियां व जारी/खपत करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं हैं। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी/खपत करने से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वांछित अभिलेख तैयार करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(iii) तहबाजारी के रूप में ₹45 कम जमा करवाने बारे**

रसीदों के अंतर्गत वसूली गई तहबाजारी की जाँच करने पर पाया गया कि तहबाजारी रसीद संख्या 43 से 47/2 के अंतर्गत तहबाजारी व सेवा कर के रूप में ₹345 प्रति रसीद की दर से 5 रसीदों के अंतर्गत ₹1725 की वसूली की गई थी, लेकिन रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या-87 दिनांक 29-09-16 को तहबाजारी ₹1500 व सेवा कर के रूप में ₹180 कुल 1680 ही दर्ज किया गया था। फलस्वरूप ₹45 कम दर्ज किया गया। अतः उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने उपरांत नगर परिषद निधि में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए।

**30 बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना**

नगर परिषद द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय किया जा सके। अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 की बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**31 सावधिक निवेश रजिस्टर तैयार न करना**

जांच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः वित्तीय वर्ष 2015-16 व 2016-17 में सावधिक निवेश रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 32 लघु आपति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं की गई है।  
33 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / -  
(चन्द्रेश हाण्डा)  
उप निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009  
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल०ए०) 5 (18) खण्ड-6-2715-2716 दिनांक 20.04.2018 शिमला-09  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत** 1 कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 की पैरा संख्या 1 (ग) पर वर्णित गम्भीर अनियतताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता / -  
(चन्द्रेश हाण्डा)  
उप निदेशक  
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009  
फोन नं० 0177-2620881

परिशिष्ट - (क) पैरा संख्या -1 (ख) से संदर्भित

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

**(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1987 से 3/1990**

1) पैरा – 4 (घ)	अनिर्णीत
2) पैरा – 4 (ज)	अनिर्णीत
3) पैरा – 5 (ख)	अनिर्णीत
4) पैरा – 5 (ड.)	अनिर्णीत
5) पैरा – 11 (1)	अनिर्णीत
6) पैरा – 19 (ख)	अनिर्णीत
7) पैरा – 20 (ग)	अनिर्णीत
8) पैरा – 21 (ड.)	अंशत निर्णीत
9) पैरा – 21 (च)	अनिर्णीत
10) पैरा – 23 (क)	अनिर्णीत
11) पैरा – 23 (ख)	अनिर्णीत
12) पैरा – 25 (क)	अनिर्णीत
13) पैरा – 25 (ख)	अनिर्णीत
14) पैरा – 30 (क)	अनिर्णीत
15) पैरा – 30 (ख)	अनिर्णीत
16) पैरा – 32 (क)	अनिर्णीत
17) पैरा – 32 (ख)	अनिर्णीत
18) पैरा – 37	अनिर्णीत
19) पैरा – 50	अनिर्णीत

**(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1990 से 3/1996**

1) पैरा – 3 (ख)	अनिर्णीत
2) पैरा – 5(1)(क)	अनिर्णीत
3) पैरा – 5(क)	अनिर्णीत
4) पैरा – 5(1)(ख)	अनिर्णीत
5) पैरा – 5(1)(घ)	अनिर्णीत
6) पैरा – 5(1)(ड.)	अनिर्णीत
7) पैरा – 5(1)(च)	अनिर्णीत
8) पैरा – 5(1)(छ)	अनिर्णीत
9) पैरा – 8(ख)	अनिर्णीत
10) पैरा – 10(ग)	अनिर्णीत
11) पैरा – 10(घ)	अनिर्णीत
12) पैरा – 10(ड.)	अनिर्णीत
13) पैरा – 11	अंशत निर्णीत
14) पैरा – 12(च,च)	अनिर्णीत

15) पैरा – 13	अनिर्णीत
16) पैरा – 21(ख)	अनिर्णीत
17) पैरा – 21(ग)	अनिर्णीत
18) पैरा – 21(घ)	अनिर्णीत

**(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1996 से 3/2003**

1) पैरा – 5	अनिर्णीत
2) पैरा – 6(11)	अनिर्णीत
3) पैरा – 9	अनिर्णीत
4) पैरा – 10	अनिर्णीत
5) पैरा – 13	अनिर्णीत
6) पैरा – 15	अनिर्णीत
7) पैरा – 16	अनिर्णीत
8) पैरा – 18	अनिर्णीत
9) पैरा – 19(11)	अनिर्णीत
10) पैरा – 20	अनिर्णीत
11) पैरा – 22	अनिर्णीत
12) पैरा – 23(i to v)	अनिर्णीत
13) पैरा – 24	अनिर्णीत
14) पैरा – 25	अनिर्णीत
15) पैरा – 26 (i to iii)	अनिर्णीत
16) पैरा – 27(I to viii)	अनिर्णीत
17) पैरा – 28	अनिर्णीत
18) पैरा – 29 (I to iv)	अनिर्णीत
19) पैरा – 30 (i to iii)	अनिर्णीत
20) पैरा – 31 (i व ii)	अनिर्णीत
21) पैरा – 32 (i व ii)	अनिर्णीत
22) पैरा – 33(1)(i,ii,iii)	अनिर्णीत
23) पैरा – 33 (1)(iv)	अनिर्णीत
24) पैरा – 33(1)(v)(i)	अनिर्णीत
25) पैरा – 33(1)(v)(3)	अनिर्णीत
26) पैरा – 33(4)	अनिर्णीत
27) पैरा – 33(5)	अनिर्णीत
28) पैरा – 34(i)	अनिर्णीत
29) पैरा – 34(ii)	अनिर्णीत
30) पैरा – 34(iii)	अनिर्णीत
31) पैरा – 34(iv)	अनिर्णीत
32) पैरा – 35(3)	अनिर्णीत
33) पैरा – 35(4)	अनिर्णीत

34) पैरा – 36(i)	अनिर्णीत
35) पैरा – 36(ii)	अनिर्णीत
36) पैरा – 37	अनिर्णीत
37) पैरा – 38	अनिर्णीत
38) पैरा – 39(i)	अनिर्णीत
39) पैरा – 39(ii)	अनिर्णीत
40) पैरा – 40	अनिर्णीत
41) पैरा – 41	अनिर्णीत
42) पैरा – 45	अनिर्णीत
43) पैरा – 51	अनिर्णीत
44) पैरा – 52	अनिर्णीत
45) पैरा – 53	अनिर्णीत
46) पैरा – 61(iv)(5)	अनिर्णीत
47) पैरा – 67(ii)(क)	अनिर्णीत
48) पैरा – 67(ii)(ख)(iii)	अनिर्णीत
49) पैरा – 67(ii)(ख)(iv)	अनिर्णीत
50) पैरा – 68	अनिर्णीत
51) पैरा – 70	अनिर्णीत

**(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 3/2007**

1) पैरा – 1	अनिर्णीत
2) पैरा – 2(बी)(i)	अनिर्णीत
3) पैरा – 2(बी)(ii)	अनिर्णीत
4) पैरा – 3(i)	अनिर्णीत
5) पैरा – 3(ii)	अनिर्णीत
6) पैरा – 4 (सी)(i)	अनिर्णीत
7) पैरा – 4 (सी)(ii)	अनिर्णीत
8) पैरा – 4 (सी)(iii)	अनिर्णीत
9) पैरा – 4 (सी)(iv)	अनिर्णीत
10) पैरा – 4 (सी)(v)	अनिर्णीत
11) पैरा – 4 (सी)(vi)	अनिर्णीत
12) पैरा – 4 (सी)(vii)	अनिर्णीत
13) पैरा – 4 (सी)(viii)	अनिर्णीत
14) पैरा – 4 (सी)(ix)	अनिर्णीत
15) पैरा – 4 (सी)(x)	अनिर्णीत
16) पैरा – 4 (सी)(xi)	अनिर्णीत
17) पैरा – 4 (सी)(xiii)	अनिर्णीत
18) पैरा – 4 (सी)(xvi)	अनिर्णीत
19) पैरा – 5(बी)(i)	अनिर्णीत

20) पैरा – 5(बी)(ii)	अनिर्णीत
21) पैरा – 5(बी)(iii)	अनिर्णीत
22) पैरा – 5(बी)(iv)	अनिर्णीत
23) पैरा – 6	अनिर्णीत
24) पैरा – 7(1)	अनिर्णीत
25) पैरा – 7(1)(क)	अनिर्णीत
26) पैरा – 7(1)(ख)	अनिर्णीत
27) पैरा – 7(iv)	अनिर्णीत
28) पैरा – 7(v)(क)	अनिर्णीत
29) पैरा – 7(vi)	अनिर्णीत
30) पैरा – 7(vii)	अनिर्णीत
31) पैरा – 7(vii)(क)	अनिर्णीत
32) पैरा – 7(vii)(ख)	अनिर्णीत
33) पैरा – 7(x)	अनिर्णीत
34) पैरा – 7(xi)	अनिर्णीत
35) पैरा – 7(xii)	अनिर्णीत
36) पैरा – 8(i)	अनिर्णीत
37) पैरा – 8 (ii)(क)	अनिर्णीत
38) पैरा – 8(ii)(ख)	अनिर्णीत
39) पैरा – 8(ii)(ग)	अनिर्णीत
40) पैरा – 9(i)	अनिर्णीत
41) पैरा – 9(ii)	अनिर्णीत
42) पैरा – 9(iii)	अनिर्णीत
43) पैरा – 9(iv)	अनिर्णीत
<b>(ड.) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 3/2010</b>	
1) पैरा – 3	अनिर्णीत
2) पैरा – 6(2)	अनिर्णीत
3) पैरा – 6(3)	अनिर्णीत
4) पैरा – 6(4)	अनिर्णीत
5) पैरा – 6(5)	अनिर्णीत
6) पैरा – 6(6)	अनिर्णीत
7) पैरा – 6(7)	अनिर्णीत
8) पैरा – 6(8)	अनिर्णीत
9) पैरा – 6(9)	अनिर्णीत
10) पैरा – 6(11)	अनिर्णीत
11) पैरा – 6(12)	अनिर्णीत
12) पैरा – 6(13)	अनिर्णीत
13) पैरा – 6(14)	अनिर्णीत

14) पैरा – 6(15)	अनिर्णीत
15) पैरा – 6(16)	अनिर्णीत
16) पैरा – 6(17)	अनिर्णीत
17) पैरा – 6(18)	अनिर्णीत
18) पैरा – 7(3)	अनिर्णीत
19) पैरा – 7(5)	अनिर्णीत
20) पैरा – 7(8)	अनिर्णीत
21) पैरा – 7(9)	अनिर्णीत
22) पैरा – 7(10)	अनिर्णीत
23) पैरा – 7(12)	अनिर्णीत
24) पैरा – 7(13)	अनिर्णीत
25) पैरा – 7(14)	अनिर्णीत
26) पैरा – 7(15)	अनिर्णीत
27) पैरा – 7(16)	अनिर्णीत
28) पैरा – 7(17)	अनिर्णीत
29) पैरा – 7(18)	अनिर्णीत
30) पैरा – 7(19)	अनिर्णीत
31) पैरा – 7(20)(क,ख,ग)	अनिर्णीत
32) पैरा – 7(22)(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
33) पैरा – 8(क,ख,ग,घ,ङ.)	अनिर्णीत
34) पैरा – 8(2)(क,ख)	अनिर्णीत
35) पैरा – 8(3)	अनिर्णीत
36) पैरा – 8(4)	अनिर्णीत
37) पैरा – 8(5)	अनिर्णीत
38) पैरा – 8(6)	अनिर्णीत
39) पैरा – 8(8)	अनिर्णीत
40) पैरा – 9(1,2,3)	अनिर्णीत
41) पैरा – 10	अनिर्णीत
42) पैरा – 11(1,2)	अनिर्णीत
43) पैरा – 12	अनिर्णीत
<b>(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 3/2012</b>	
1) पैरा – 5(iii)	अनिर्णीत
2) पैरा – 5(iv)	अनिर्णीत
3) पैरा – 5(v)	अनिर्णीत
4) पैरा – 6.3.1	अनिर्णीत
5) पैरा – 6.3.2	अनिर्णीत
6) पैरा – 6.4	अनिर्णीत
7) पैरा – 6.4.1	अनिर्णीत

8) पैरा – 6.4.2	अनिर्णीत
9) पैरा – 6.4.3	अनिर्णीत
10) पैरा – 6.5	अनिर्णीत
11) पैरा – 6.6	अनिर्णीत
12) पैरा – 7.2	अनिर्णीत
13) पैरा – 7.3	अनिर्णीत
14) पैरा – 7.4	अनिर्णीत
15) पैरा – 8.1	अनिर्णीत
16) पैरा – 8.1.1	अनिर्णीत
17) पैरा – 8.1.2	अनिर्णीत
18) पैरा – 8.1.3	अनिर्णीत
19) पैरा – 8.1.4	अनिर्णीत
20) पैरा – 8.1.5	अनिर्णीत
21) पैरा – 8.1.6	अनिर्णीत
22) पैरा – 8.1.7	अनिर्णीत
23) पैरा – 8.1.8	अनिर्णीत
24) पैरा – 8.1.9	अनिर्णीत
25) पैरा – 8.2	अनिर्णीत
26) पैरा – 8.2.1	अनिर्णीत
27) पैरा – 8.2.2	अनिर्णीत
28) पैरा – 8.3	अनिर्णीत
29) पैरा – 8.3.1	अनिर्णीत
30) पैरा – 8.3.2	अनिर्णीत
31) पैरा – 8.4	अनिर्णीत
32) पैरा – 8.5	अनिर्णीत
33) पैरा – 8.6	अनिर्णीत
34) पैरा – 8.7	अनिर्णीत
35) पैरा – 8.8	अनिर्णीत
36) पैरा – 8.9	अनिर्णीत
37) पैरा – 9	अनिर्णीत
38) पैरा – 9.1	अनिर्णीत
39) पैरा – 10	अनिर्णीत
40) पैरा – 11	अनिर्णीत
41) पैरा – 12	अनिर्णीत
42) पैरा – 13	अनिर्णीत
43) पैरा – 14	अनिर्णीत
44) पैरा – 15	अनिर्णीत
45) पैरा – 16	अनिर्णीत

46) पैरा – 17	अनिर्णीत	
<b>(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 3/2015</b>		
1) पैरा – 4.2	अनिर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण
2) पैरा – 5	निर्णीत	एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या - 10 पर प्रारूपित है।
3) पैरा – 5.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 10.1 पर प्रारूपित है।
4) पैरा – 5.2	अनिर्णीत	
5) पैरा – 5.3	अनिर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण
6) पैरा – 6	निर्णीत	एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 12 पर प्रारूपित है।
7) पैरा – 7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 13 पर प्रारूपित है।
8) पैरा – 8	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 14 पर प्रारूपित है।
9) पैरा – 9.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 15.1 पर प्रारूपित है।
10) पैरा- 9.1.1	अनिर्णीत	
11) पैरा- 9.1.2	स्वत निर्णीत	
12) पैरा – 9.1.3	अनिर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण
13) पैरा – 9.2	निर्णीत	एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 15.2 पर प्रारूपित है।
14) पैरा – 9.2.1	निर्णीत	₹52000 की वसूली की पुष्टि उपरान्त जी-8 दिनांक राशि 14/137 26-12-16 30000 37/91 24-01-17 22000 योग= <u>52000</u>
15) पैरा – 9.3	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 15.3 पर प्रारूपित है।
16) पैरा – 9.4	निर्णीत	₹1616414/= की वसूली जी -8 संख्या 50/219 दिनांक 24-05-17

द्वारा कर ली गई है

17) पैरा – 9.5	अनिर्णीत
18) पैरा – 9.6	अनिर्णीत
19) पैरा – 9.7	अनिर्णीत
20) पैरा – 10	अनिर्णीत
21) पैरा – 11	अनिर्णीत
22) पैरा – 12	अनिर्णीत
23) पैरा – 12.1	अनिर्णीत
24) पैरा – 13(i)	अनिर्णीत
25) पैरा – 13(ii)	अनिर्णीत
26) पैरा – 13.1	अनिर्णीत
27) पैरा – 13.2	अनिर्णीत
28) पैरा – 13.3	अनिर्णीत
29) पैरा – 13.4	अनिर्णीत
30) पैरा – 13.5	अनिर्णीत
31) पैरा – 13.6	अनिर्णीत
32) पैरा – 14	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का गत शेष	252
वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित पैरे	(+) 30
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	(-) 11
वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरे	271